छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 20 ■ अम्बिकापुर, गुरूवार 08 जनवरी 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द करने से नाराज बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा

राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज के साथ चरणबद्ध आंदोलन शुरू

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का अनुमति रद्द करने के विरोध और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को लेकर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नाम सरगुजा कलेक्टर को प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा और चार चरणों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जानकारी दी है। पहले चरण में सरगुजा सहित 725 जिलों में 7 जनवरी को ज्ञापन देकर इसकी शुरूआत की गई है। दूसरे चरण में 15 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन, 22 जनवरी को रैली प्रदर्शन और 22 फरवरी को संविधान पर हमला करने के विरोध में देश भर के लाखों लोगों के द्वारा आरएसएस के हेडक्वार्टर, नागपुर में राष्ट्रव्यापी विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 42वां दो दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक बातियात्रा लोअर ग्राउंड, कटक,

ओडिशा में आयोजित किया गया था, जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए समर्पित था। अधिवेशन के लिए ओडिशा जिलाधिकारी और कटक महानगर पुलिस प्रशासन सहित सभी विभागों की ओर से पूर्व अनुमति की सभी कानूनी प्रक्रिया दो महीने पहले पूरी की गई थी। अधिवेशन के लिए प्रशासन के द्वारा मैदान को 8-10 दिन पहले हैंडओहर कर दिया गया था, यहां आवश्यक व्यवस्थाओं का कार्य पूरा होने वाला था। आरोप है कि षड्यंत्रपूर्वक ओड़ीसा जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रशासनिक अनुमति को रद्द कर दिया, जो संवैधानिक मौलिक अधिक्कारों का उल्लंघन है। यह न केवल लोकतंत्र पर हमला है, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी और मूल निवासी समाज की आवाज दबाने का प्रयास है। इसका ठीकरा आरएसएस और भाजपा पर थोपते हुए कहा गया है कि जाति आधारित जनगणना होने से ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या सामने आएगी, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक असमानताओं का सच उजागर होगा। इसी डर से इस अधिवेशन को षड्यंत्रपूर्वक रोका गया। इनके द्वारा बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति को पुनर्बहाल करने, डेलीगेट के कार्यकर्ताओं एवं संगठन के खर्च और नुकसान का मुआवजा देने, संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसके लिए स्वतंत्र कानून बनाने, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को दबाने की साजिशों की जांच न्यायाधीश की नियुक्ति करके करवाने और दोषियों पर सख्त कारवाई करने ओडिशा राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, संयोजक ब्लासियुस तिग्गा सहित अन्य उपस्थित थे।

पीवीटीजी क्षेत्रों में उद्यानिकी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष फोकस करें

कलेक्टर ने कृषि, उद्यानिकी, पशुधन, मत्स्य एवं रेशम विभाग की समीक्षा बैठक ली

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुधन विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग एवं रेशम विभाग द्वारा संचालित शासन की योजनाओं की विभागवार समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने योजनाओं की प्रगति, भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों, लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति तथा जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खरीफ एवं रबी फसलों की वर्तमान स्थिति, बीज उपलब्धता, किसान पंजीयन, एग्रीस्टैक पंजीयन, पीएम किसान, ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए ई-केवाईसी, आधार सीडिंग एवं एग्रीस्टैक जैसे प्राथमिकता वाले कार्यों में शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण प्रगति सुनिश्चित की जाए। साथ ही पात्र किसानों तक शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से पहुंचाया जाए। उद्यानिकी विभाग की समीक्षा में उन्होंने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के

क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने जिले में ऑयल पाम खेती को प्राथमिकता के साथ बढ़ावा देने तथा बागवानी फसलों के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में उद्यानिकी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने, मधुमक्खी पालन, बांस मिशन जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के निर्देश दिए, जिससे पीवीटीजी समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

पशुधन विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में संचालित चलित पशु चिकित्सा वाहनों की कार्यशीलता, पशु चिकित्सकों एवं स्टाफ की उपलब्धता, उपचार की गुणवत्ता एवं कवरेज की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप पशुपालकों को समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता हो। उन्होंने आवारा पशुओं की पहचान एवं नियंत्रण हेतु रेडियम प्लेट लगाकर टैगिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करने, एआई आधारित कृत्रिम गर्भाधान में लक्ष्य अनुरूप प्रगति लाने तथा फंक्शनल डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहित कर पशुपालकों की आय में वृद्धि पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा के दौरान पंचायतवार मत्स्य पालन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों में अब तक एक भी मत्स्य पालन पट्टा जारी नहीं किया गया है, वहां प्राथमिकता के साथ पट्टा जारी कर मछली पालन गतिविधियां प्रारंभ की जाएं। कलेक्टर ने प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर न्यूनतम पांच-पांच लक्ष्यों का निर्धारण कर अधिक से अधिक किसानों एवं हितग्राहियों को मत्स्य पालन से जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि धान के साथ वैकल्पिक आय स्त्रोत विकसित हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। रेशम विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने विभागीय गतिविधियों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि हितग्राहियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके।

कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मैदानी अमले सहित विभाग प्रमुखों को नियमित फिल्ड विजिट करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आंकलन होगा तथा कार्यों की प्रापर एवं वास्तविक एंट्री सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हितग्राही तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल सहित संबंधित विभाग प्रमुख एवं अधिकारी-कर्मचारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

अत्यधिक रक्तस्त्राव से महिला की मौत, पुलिस ने कराया पोस्टमॉर्टम

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सूरजपुर जिला के रामानुजनगर थाना क्षेत्र की एक विवाहिता अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण इलाज के बीच दम तोड़ दी। पुलिस ने मौत का कारण स्पष्ट करने के लिए मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

जानकारी के मुताबिक मृतका कलेश्वरी राजवाड़े पति राकेश राजवाड़े 34 वर्ष, सूरजपुर जिला के रामानुजनगर थाना अंतर्गत ग्राम की रहने वाली थी। मृतका के पति ने पुलिस को बताया है कि एक जनवरी को मासिक रक्तस्राव हुआ था, जो ज्यादा ही बढ़ गया। पत्नी ने बताया कि रक्तस्राव नहीं रूक रहा है, और काफी कमजोरी लग रहा है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को सूरजपुर के बीएल मेमोरियल मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल ले गया था। यहां इलाज के बाद रक्तस्राव कुछ कम हुआ, और शारीरिक कमजोरी को देखते हुए अतिरिक्त ब्लड चढ़ाया गया था। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर 6 जनवरी को चिकित्सक ने उसे रेफर कर दिया था। 7 जनवरी को अलसुबह महिला को लेकर उसका पति मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर पहुंचा, यहां इलाज के दौरान दोपहर उसकी मौत हो गई। ऐसे में अत्यधिक रक्तस्राव होने से आई शारीरिक कमजोरी के कारण महिला के मौत की संभावना स्वजन व्यक्त कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

पति दूसरी लड़की लेकर भागा, चूहा मार दवा का सेवन करके पत्नी दी जान

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शादी के बाद बच्चे नहीं होने पर पति दूसरी लड़की को लेकर भाग गया। इस तनाव को विवाहिता झेल नहीं पाई और चूहा मार दवा का सेवन करके जान दे दी।

बलरामपुर जिला के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम बरियो निवासी मृतिका के चाचा ससुर महेन्द्र सोनवानी पिता रामरतन सोनवानी ने पुलिस को बताया कि संजय सोनवानी का शादी वर्ष 2009 में ग्राम मानपुर चैकी खड़गवां थाना प्रतापपुर निवासी अमृत कुंवर सोनवानी से सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। दोनों के दामपत्य जीवन के बीच कोई संतान नहीं है। 5 जनवरी को अलसुबह करीब 5 बजे संजय सोनवानी के घर की ओर शोर सुनकर जब वे संजय के यहां गए तो भीड़ लगा था, उसकी पत्नी अमृत कुंवर रो रही थी। पूछताछ करने पर चाची सास कपालो बताई कि अमृत कुंवर घर को अंदर से बंद कर ली थी और चूहा मारने वाला दवाई व कुछ टेबलेट को खा ली है। किसी तरह दरवाजा तोडकर उसे बाहर निकाले हैं। उसे इलाज के लिए मिशन अस्पताल अंबिकापुर ला रहे थे, इस दौरान रास्ते में अमृत कुंवर बताई कि उसका पति संजय दूसरी लड़की को लेकर भाग गया है, अब घर नहीं आएगा। ऐसे में मृतका के पति के द्वारा दूसरी लड़की लेकर भागने से तनाव में आकर चूहा मारने की दवा सेवन करने की संभावना चाचा ससुर ने व्यक्त की है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करके मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण, 41 हजार से अधिक मतदाताओं का नाम विलोपित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चेतन बोरघरिया ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य संचालित है। प्रथम चरण में गणना पत्रक वितरण, संकलन के साथ-साथ गणना पत्रक को ऑनलाईन किये जाने का कार्य तथा प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत दावा-आपत्ति प्राप्त की जा रही है। गणना पत्रक भरने के चरण के पूर्व जिले में 5,73,571 (पांच लाख तिहत्तर हजार पांच सौ इकहत्तर) मतदाता पंजीकृत थे। मतदाता सूची के प्रकाशन उपरांत जिले में वर्तमान में 5,31,639 (पांच लाख इकतीस हजार छः सौ उनतालीस) मतदाता पंजीकृत है।

41932 मतदाताओं का किया गया विलोपन

गणना चरण भरने के उपरांत जिले से 41.932 मतदाताओं को विलोपन किया गया है, जिसका प्रमुख कारण मृत्यु, पलायन, डुप्लीकेट तथा अनुपस्थित होना है। विधानसभा 6 प्रतापपुर (आंशिक) में 7490 (6.05 प्रतिशत), विधानसभा 7 रामानुजगंज में 19104 (8.43 प्रतिशत) तथा विधानसभा 8 सामरी में 15338 (6.87 प्रतिशत) मतदाताओं का विलोपन किया गया है। इस संबंध में सभी बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा मतदान केन्द्र स्तर पर बीएलए, सरपंच तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सूची का वाचन कर प्रदान किया है। एएसडी सूची का अवलोकन जिले के वेबसाइट https://balrampur.gov.in esa vFkok election.cg.gov.in/ASDList में कर सकते हैं।

12114 मतदाताओं को देना होगा दस्तावेज, सुनवाई जारी

गणना पत्रक चरण के उपरांत जिले में कुल 12114, (2.11 प्रतिशत) विधानसभा 6 प्रतापपुर (आंशिक) में 2291 (1.85 प्रतिशत), विधानसभा

7 रामानुजगंज में 4439 (1.96 प्रतिशत) तथा विधानसभा 8 सामरी में 5384 (2.41 प्रतिशत) मतदाता कैटेगरी सी के रूप में चिन्हित किये गये हैं। जिन्होंने गणना प्रपत्र वरण के दौरान वर्ष 2003 में स्वयं का अथवा अपने माता पिता दादा या दादी का विवरण नहीं दिया है। इन मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाकर सत्यापन किया जाएगा। यदि मतदाता ने अपना या रिश्तेदार का वर्ष 2003 का विवरण प्राप्त कर लिया है, तो वह उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. अन्यथा जन्म के तिथि के अनुसार उन्हे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

कब और कहां करे दावा-आपत्ति, नये मतदाता को देना होगा घोषणा पत्र

23 दिसम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में दावा आपत्ति समस्त मतदान केन्द्रों में प्राप्त की जाएगी। मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष अपना फार्म 6,7,8 जमा कर सकते हैं। अथवा वाटर पोर्टल ीजजचेरू्ध्ध्अवजमतेण्मबपण्हव अण्पद/ या योटर हेल्पलाइन एप्पलीकेशन के माध्यम से भी अपना फार्म ऑनलाईन जमा कर सकेंगें। नया नाम फार्म 6 अथवा स्थानांतरण के माध्यम से जुड़ने वाले नाम फार्म 8 के माध्यम से भरे जायेगें। 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले भावी मतदाता अथवा छूटे हुए मतदाता नये मतदाता के पंजीयन के आवेदन के लिये पात्र है। इन दोनों ही फार्म में मतदाताओं को घोषणा पत्र भरा जाना होगा। मतदाता सूची के दावा आपत्ति के समय नये मतदाता जोड़ने के साथ साथ किसी प्रकार के संशोधन तथा स्थानांतरण फार्म 8 तथा विलोपन फार्म 7 के भी फार्म स्वीकार किये जा सकेंगें।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सभी ऐस मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। जिन्होने अपना अथवा माता पिता कर 2003 की मतदाता सूची का विवरण से मैप नहीं कराया गया है। उक्त सभी मतदाताओं को आयोग के निर्धारित दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज का सत्यापन कराना होगा। इसके अतिरिक्त लॉजिकल एरर वाले मतदाताओं को भी नोटिस जारी किया जाएगा। 23 दिसम्बर से 14 फरवरी 2026 के मध्य जारी सभी नोटिस की सुनवाई तथा निराकरण की कार्यवाही की जायेगी। सभी निराकरण के उपरांत 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सकेगा।

सत्यापन प्रक्रिया में 12 दस्तावेज मान्य

दस्तावेज सत्यापन के लिए 12 दस्तावेजों को शामिल किया गया है। जिनमें से कोई एक दस्तावेज सत्यापन के समय देने होंगें। जिसमें केन्द्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां यह उपलब्ध हो), सरकार की कोई भी भूमि/मकान आबंटन प्रमाण पत्र, दिनांक 1/07/2025 के संदर्भ में बिहार राज्य में हुए एसआईआर से संबंधित निर्वाचक नामावली का उद्धरण, सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएयू द्वारा भारत में दिनांक 1/07/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/ प्रमाण पत्र/दस्तावेज, पासपोर्ट, सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थाई निवास प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एसी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र, राज्य/स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, आधार (निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश अनुसार दिनांक 09/09/2025 के अनुसार लागू) दस्तावेज शामिल है।

हाई स्कूल रामनगर में छात्राओं को किया गया सायकल वितरण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। शासकीय हाई स्कूल रामनगर में शासन की सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत साइकिल वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं विद्यालय आवागमन को सुगम बनाना रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य कलेश्वरी कुर्रे रहीं। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व जिपं सदस्य सत्यनारायण जायसवाल, एसएमडीसी अध्यक्ष बाबूलाल यादव, डॉ. सुनील श्रीवास्तव, सरपंच संगीता रोहित सिंह, प्रदीप जायसवाल, बीडीसी संकेश्वर सिंह, मंडी अध्यक्ष श्यामलाल सिंह एवं विजय यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती बाखला ने की। इस अवसर पर

संकुल समन्वयक बिजेंद्र कुमार जायसवाल सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ, पालकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। अतिथियों ने छात्राओं को साइकिल वितरित करते हुए उन्हें नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने कहा कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस दौरान विद्यालय के 36 छात्राओं को साइकल वितरित किया गया।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बिजली बिल से मिली मुक्ति

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर जिले के नगर पंचायत राजपुर के निवासी श्री करम साय ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कर घर को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित कर दिया है। श्री करम साय ने बताया कि अब बिजली बिल की चिन्ता से मुक्त हो गए है। पहले जहां हजारों रूपये का बिजली बिल भुगतान करने के लिए चिंता रहती थी। लेकिन अब योजना के तहत बिल की समस्या भी खत्म हो गई है। सौर ऊर्जा के माध्यम से अब घर पर

बिजली का उत्पादन हो रहा है और अतिरिक्त बिजली राज्य शासन को विक्रय कर आय भी अर्जित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर प्लांट नेट मीटरिंग प्रणाली से विद्युत ग्रिड से जुड़ा है। खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में भेजी जाती है, जिससे उपभोक्ता को आय प्राप्त होती है। श्री करम साय ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आम व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की नई रोशनी लेकर आई है।

कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 7 फरवरी

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने जानकारी दी है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन संस्था के वेबसाइट eklavya.cg.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 08 जनवरी से 07 फरवरी 2026 तक निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 08 से 10 फरवरी 2026 तक किया जा सकता है। प्रवेश हेतु परीक्षा की तिथि 01 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने चाहते हैं वे उक्त तिथि तक आवेदन पत्र भर सकते हैं।

धान उपार्जन केन्द्र बड़कीमहरी एवं बरदर में कलेक्टर का औचक निरीक्षण

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। किसानों के हित में संचालित धान खरीदी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुचारु बनाने के लिए कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा स्वयं मैदानी स्तर पर लगातार उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं।

इसी कड़ी में आज उन्होंने विकासखंड बलरामपुर अंतर्गत धान खरीदी केंद्र बड़कीमहरी एवं बरदर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री कटारा ने टोकन, धान खरीदी की प्रक्रिया तथा तौल व्यवस्था की बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने धान खरीदी प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने समिति में अभी तक धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या व धान बेचने हेतु शेष किसानों के संख्या की जानकारी ली। उन्होंने धान उठाव के संबंध में भी जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों

को समय अनुसार धान उठाव करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने धान बेचने पहुंचे किसानों से सीधे संवाद किया और इस दौरान किसानों ने उनसे धान की उपज तथा समिति के माध्यम से चल रही खरीदी प्रक्रिया के संबंध में अनुभव भी साझा किए। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता किसान हित है और किसी भी स्तर पर किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।

इस दौरान कलेक्टर श्री कटारा ने गेट पंजी, धान खरीदी पंजी, बारदाना पंजी सहित अन्य पंजियों का अवलोकन किया। उन्होंने पंजीयो को नियमित एवं अद्यतन रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि धान की खरीदी निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ही करें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पदीय गरिमा के विपरीत कार्य करने पर प्रधान पाठक निलंबित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। शासकीय प्राथमिक शाला कन्या आश्रम डिण्डो, विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के प्रधान पाठक श्री रामधनी सिंह के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी ''बच्चों के हक का अनाज बाजार में बेच रहे थे'' इस संबध में जांच करने पर प्रधान पाठक के द्वारा एक बोरी चावल मोटर सायकल में ले जाना पाया गया। प्रधान पाठक रामधनी सिंह के द्वारा पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-(1)(2)(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रधान पाठक रामधनी यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में रामधनी यावद का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर नियत किया गया है।

रासेयो शिविर में लोगों को किया गया जागरूक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंदरई की रासेयो इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन गोद ग्राम पंचायत रतनपुर में 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक किया गया।

सात दिवसीय विशेष शिविर में रासेयो इकाई द्वारा नशा मुक्त समाज के लिए युवा थीम पर ग्रामीण जनों को जागरूक किया गया। साथ ही स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाकर गांव की सभी सार्वजनिक स्थलों की सफाई करते हुए स्वच्छता हेतु लोगों को प्रेरित किया स्वयंसेवकों द्वारा गांव के स्कूलों देवालय सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के बैठने व विश्राम हेतु चबूतरे का निर्माण किया गया। स्वयं सेवको ने प्रतिदिन स्वच्छता, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण आदि विषयों पर रैली नुक्कड़ नाटक और बौद्धिक परिचर्चा के माध्यम से ग्रामवासियों को जागरूक किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सरपंच मनोज कुमार सिरदार थे। अन्य अतिथियों में माखन जायसवाल, श्याम नारायण, कृष्ण राजवाड़े, बसंत मानिकपुरी, दुर्गादास, भानुदास उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य इलिना एक्का ने किया। सरपंच मनोज सिरदार ने ग्रामीणों से नशा से दूर रहते हुए ग्राम को स्वच्छ एवं नशा मुक्त बनाने की अपील की। स्वयंसेवकों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए माखन जायसवाल ने कहा कि इन लोगों ने हम सब की आंखें खोल दी है। सामूहिक प्रयास से ही समाज का संपूर्ण विकास संभव है। प्राचार्य एलिना एक्का ने कहा कि मानवीय गुणों से संयुक्त व संवेदनशील समाज का निर्माण आज की आवश्यकता है। कार्यक्रम अधिकारी गुलाब यादव द्वारा शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए शिविर में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी गई। अतिथियों द्वारा सभी शिविरार्थी को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन ओंकार व कशिश राजवाड़े व आभार प्रदर्शन पूर्व स्वयंसेविका सोन कुमारी सिंह ने व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक कार्यक्रम अधिकारी जयसिन्ता तिर्की, पूर्व कार्यक्रम अधिकारी राजीव कुमार सिंह, शिक्षक अरुण द्विवेदी, शांति सुखशारदन एक्का, प्रहलाद खर्रे, गणेश ठाकुर, जितेंद्र ढिल्लो, वंदना, पूनम, लीलावती, सुनीता यादव, मोहन देवांगन व अन्य सक्रिय रहे।

वेतन विसंगति हेतु गठित कमेटी की अनुशंसा को मंत्रालय ने स्वीकारा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। कोयला क्षेत्र के अधिकारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब वेतन विसंगति के लंबे और कठिन संघर्ष में जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। लगभग डेढ़ वर्ष से न्यायिक लड़ाई लड़ रहे कोल अधिकारियों के पक्ष में सुनवाई के दौरान ऐसा मोड़ आया, जिसने उनकी उम्मीदों को नई उड़ान दे दी।

बताया जा रहा है कि जबलपुर हाईकोर्ट में वेतन विसंगति मामले की सुनवाई के दौरान कोयला मंत्रालय की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया। यह दस्तावेज वेतन विसंगति को लेकर गठित विशेष कमेटी की अनुशंसा को कोयला मंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति की कॉपी थी। कमेटी ने स्पष्ट रूप से कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को महारत्न कंपनी के अनुरूप पे-अपग्रेडेशन देने की अनुशंसा की थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

कोयला मंत्रालय ने स्वीकृति देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि पे-अपग्रेडेशन किस तिथि से लागू होगा, एरियर का भुगतान कैसे किया जाएगा इन सभी बिंदुओं पर अंतिम निर्णय कोल इंडिया लिमिटेड को लेना होगा। सुनवाई के दौरान सीआईएल के वकील ने निर्णय लागू करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने दलील दी कि इस प्रस्ताव को पहले सीआईएल बोर्ड से पारित कराना आवश्यक है। इस मांग पर अदालत में काफी बहस हुई। बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सीआईएल को निर्देश देते हुए कहा कि जितना जल्दी हो सके, सीआईएल इस पर फैसला ले।

मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को निर्धारित की गई है। इस दिन तक सीआईएल से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह पे-अपग्रेडेशन और एरियर भुगतान को लेकर ठोस रुख स्पष्ट करे। गौरतलब है कि वेतन विसंगति को लेकर कोयला अधिकारी अगस्त 2023 से न्यायिक संघर्ष कर रहे हैं। लंबे इंतजार, कानूनी लड़ाई और अनिश्चितता के बाद अब यह फैसला अधिकारियों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। सबकी नजर अब सीआईएल के फैसले पर टिकी हुई है।

अब सवाल यह है कि पे-अपग्रेडेशन कब से लागू होगा, एरियर का भुगतान एकमुश्त होगा या किश्तों में होगा, इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में कोल इंडिया लिमिटेड को देना होगा।

कोयला क्षेत्र के हजारों अधिकारियों की निगाहें अब 20 फरवरी की सुनवाई और सीआईएल के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

पीएम जनमन अभियान, मोबाइल मेडिकल यूनिट को मिली हरी झंडी

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। पीएम जनमन महाअभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया। जनपद पंचायत बलरामपुर की अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा चेरवा एवं उपाध्यक्ष श्रीमती बबली देवी ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल मेडिकल यूनिट को रवाना किया। यूनिट पीवीटीजी बसाहट ग्राम कंडा, सेक्टर पस्ता के लिए स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए रवाना हुई। मोबाइल मेडिकल यूनिट निर्धारित रूट चार्ट अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी।

इस अवसर पर जनपद सीईओ बलरामपुर, खंड चिकित्सा अधिकारी और विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक मौजूद थे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पीएम जनमन योजना अंतर्गत शासन की इस पहल से विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवाएं और आवश्यक सलाह दी जाएगी।

कड़ाके की ठंड से राहत हेतु सार्वजनिक स्थलों पर प्रशासन ने जलवाया अलाव

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रशासन के निदेर्शानुसार जिला चिकित्सालय परिसर, न्यू बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड सहित अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर नियमित रूप से अलाव जलाए जा रहे हैं, ताकि ठंड से प्रभावित जरूरतमंद, यात्रियों, श्रमिकों एवं आम नागरिकों को राहत मिल सके। विशेष रूप से सुबह और रात के समय तापमान में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। नगर प्रशासन एवं संबंधित विभागों को अलाव की सतत व्यवस्था बनाए रखने तथा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त स्थलों पर भी अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अलाव सुरक्षित स्थानों पर जलाए जाएं, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अत्यधिक ठंड के दौरान सतर्कता बरतें, गर्म वस्त्रों का उपयोग करें तथा जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव में सहयोग करें। जिला प्रशासन द्वारा यह पहल जनहित में निरंतर जारी रहेगी।

पारदर्शी और डिजिटल टोकन व्यवस्था से धान विक्रय करना हुआ आसान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। जिले में धान उपार्जन केन्द्रों की पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था के कारण किसानों के लिए धान विक्रय की प्रक्रिया सुविधाजनक हो गई है। जिसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को मिल रहा है। अंबिकापुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत हरिहरपुर के रहने वाले लघु किसान अरविंद राम मिंज ने धान खरीदी व्यवस्था की सराहना करते हुए अपने अनुभव साझा किए। मिंज ने बताया कि इस वर्ष बारिश अच्छी होने से धान की उपज भी बेहतर हुई है। वे लगभग सवा 5 एकड़ भूमि में धान की खेती करते हैं। उनका कुल 103 क्विंटल धान का रकबा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से किसान तुंहर टोकन ऐप का उपयोग कर घर बैठे ही 103 क्विंटल धान के लिए टोकन कटवाया। डिजिटल सुविधा उपलब्ध होने से टोकन कटाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं

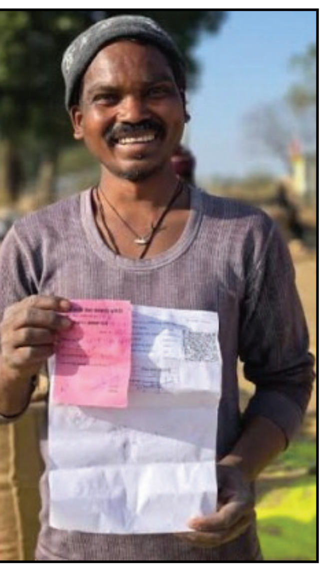

हुई। उन्होंने बताया कि शिवपुर धान उपार्जन केन्द्र पहुँचते ही उन्हें गेट पास की सुविधा मिली, धान की नमी परीक्षण की गई तथा तत्काल बारदाना उपलब्ध कराया गया, जिससे धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि समिति केन्द्र में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेयजल एवं छायादार बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही समिति के कर्मचारियों द्वारा किसानों को पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मिंज ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के शासनकाल में धान का सर्वाधिक मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष धान विक्रय से प्राप्त आय से उन्होंने गेहूं, तिलहन एवं सब्जी सहित अन्य फसलों की खेती की, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है। कृषक मिंज ने धान खरीदी व्यवस्था की सराहना की उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धान का सर्वाधिक दाम मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

चौपाल आयोजित कर जी-राम-जी से सशक्त एवं समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की जानकारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। जिले के अंबिकापुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत लब्जी में ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी पहल से अवगत कराने के उद्देश्य से चौपाल का आयोजन कर विकसित भारत जी-राम-जी योजना की जानकारी साझा की गई। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, पंचायत प्रतिनिधि एवं हितग्राही उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अंबिकापुर जनपद पंचायत के सीईओ राजेश सेंगर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विकसित भारत जी-राम-जी एक्ट, 2025 के प्रमुख प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के कार्य की कानूनी गारंटी प्रदान की गई है। साथ ही, यदि कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और अधिक सशक्त किया गया है। जनपद ने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत अब मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना अनिवार्य किया गया है। यदि 15 दिवस के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित मजदूर को 0.05 प्रतिशत अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भुगतान में विलंब होने पर मजदूरों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी, किंतु अब देरी की स्थिति में संबंधित जिम्मेदारों को इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने आगे बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी एक्ट के तहत गांव की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन अब ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। गांव की जरूरतों के अनुसार ही कार्य कराए जाएंगे, जो इस योजना की मूल भावना है। इस अधिनियम के लागू होने से गांवों में जल संरक्षण, आधारभूत संरचना विकास, आजीविका आधारित गतिविधियां तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकेंगे। चौपाल के दौरान सीईओ सेंगर ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा उन्हें योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सक्रिय सहभागिता हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों में योजना को लेकर उत्साह देखने को मिला तथा शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम स्तर पर विकास कार्यों में जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

एन.एस.एस. का सात दिवसीय विशेष शिविर का ग्राम छिंदिया में हुआ शुभारंभ

रामानुजनगर। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुजनगर की राष्ट्रीय सेवा योजना (रा.से.यो.) इकाई क्रमांक 94 के तत्वावधान में आयोजित विशेष सात दिवसीय शिविर का शुभारंभ शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय छिंदिया में हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में शुभारम्भ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम छिंदिया के सरपंच जगदीश सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुजनगर के प्रभारी प्राचार्य विकास नामदेव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम सचिव चैन सिंह, पंचगण वीर नारायण, अमित सिंह, खेलमती, श्याम बाई उपस्थित रहे।

जिले के पंचायतों में मना आवास दिवस

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 'आवास दिवस' का आयोजन किया गया। कलेक्टर एस जयवर्धन निर्देश एवं सीईओ जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में समय सीमा में आवास निर्माण के कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। आवास निर्माण में आने वाली विभिन्न बाधाओं तथा समस्याओं तथा समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। उक्त गतिविधियों के सुगम संचालन हेतु माह के प्रत्येक 7 तारीख को चावल महोत्सव एवं रोजगार दिवस के साथ ही ₹आवास दिवस₹ का आयोजन भी जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से किया जाना है। इस दिवस पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। जिसमें लाभार्थियों के सूची का वाचन, अच्छा कार्य करने वाले लाभार्थियों को सम्मान एवं प्रमाण पत्र प्रदाय करना, किस्त हस्तांतरण में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही, सभी प्रकार के समस्याओं का निराकरण, सामग्री की उपलब्धता, स्वयं सहायता समूह की भागीदारी, पंचायत के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आवास के संबंध में जानकारी एवं निर्माण में तेजी लाने हेतु अपील किया जाना, योजना के दिशा निदेर्शों के सम्बन्ध में चर्चा एवं जानकारी प्रदत्त करना तथा राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर एवं जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। पीएम आवास वर्तमान में शासन को सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसके प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए उक्त पहल आवश्यक है। उक्त दिवस पर योजना के अधिकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहें।

दुर्घटनाओं में कमी लाने यातायात पुलिस ने बसों पर लगाई रेडियम पट्टी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर यातायात पुलिस के द्वारा रात के समय आवागमन के दौरान सड़क हादसों से बचाव के लिए वाहनों पर रेडियम पट्टी लगाई जा रही है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत बुधवार को यातायात प्रभारी बृजकिशोर पाण्डेय व उनकी टीम के द्वारा नया बस स्टैण्ड में 25 बसों के आगे-पीछे रेडियम युक्त पट्टी लगाई गई। यातायात प्रभारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य खराब रोशनी या रात के दौरान बसों की दृश्यता बढ़ाना है। बस के आगे, पीछे और किनारों पर रेडियम पट्टी लगाने से अंधेरे में या कोहरे जैसी खराब मौसम की स्थिति में अन्य चालकों को वाहन आसानी से दिखाई देता है, जिससे टक्कर का जोखिम कम हो जाता है। बस में रेडियम पट्टी लगाने के उपरान्त यातायात प्रभारी ने बस की इमरजेंसी गेट का जायजा लिया गया। इस दौरान एक बस की इमरजेंसी गेट खोलवाने पर काफी देर के बाद भी गेट नहीं खुला जिस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर चालान काटा गया। वाहन चालक को समझाईश दी गई कि यातायात नियमों का पालन करते हुए फौरन गेट को अपडेट कराकर सुरक्षित सड़क पर चले। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी गेट का मुख्य उद्देश्य सामान्य निकास मार्गों के विफल होने पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें किसी भी आपात स्थिति में बस से सुरक्षित और तुरंत बाहर निकालना है।

मुख्यमंत्री के गृह जिले में 9 जनवरी को 46 केंद्रों में कांग्रेस का जिलाव्यापी धान खरीदी किसान न्याय आंदोलन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

पत्थलगांव। धान खरीदी में कथित मनमानी अवैध वसूली और किसानों से हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में जशपुर जिला कांग्रेस कमेटी 9 जनवरी शुक्रवार को जिले भर में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि जिले के सभी 46 धान खरीदी केंद्रों में एक साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह जिला-व्यापी आंदोलन जिला कांग्रेस अध्यक्ष यूडी मिंज के नेतृत्व में होगा। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव एवं जिला कांग्रेस प्रभारी भानु प्रताप सिंह को कार्यक्रम का वरिष्ठ मार्गदर्शक बनाया गया है, जो संगठनात्मक और रणनीतिक दिशा देंगे। कांग्रेस ने संयोजक तय किए हैं। पूर्व विधायक विनय भगत, मुख्य संयोजक, जशपुर जिला के साथ जशपुर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। जशपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सागर, सह संयोजक को कुनकुरी विधानसभा के साथ सेवा दल, सभी प्रकोष्ठ के प्रभारी, पत्थलगांव विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य को सह संयोजक श्रीमती आरती सिंह, युवा कांग्रेस प्रभारी रवि शर्मा और महिला कांग्रेस प्रभारी सूश्री रत्ना पैकरा को भी आंदोलन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जशपुर कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जिले के सभी 46 धान खरीदी केंद्रों में कांग्रेस की ओर से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जिन्हें ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी को इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करेंगे किसानों के साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री के जिले में ही किसानों के साथ खुली लूट हो रही है। धान खरीदी केंद्रों में नमी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। शासन द्वारा तय 40.680 किलोग्राम के मानक की अनदेखी कर ज्यादा तौल किया जा रहा है। कई केंद्रों पर बिचौलियों के माध्यम से खरीदी हो रही है जिससे सीधे तौर पर किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विरोध करने पर किसानों से दुर्व्यवहार किया जाता है लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री महेश त्रिपाठी ने बताया कि 22 दिसंबर 2025 को प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इन गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाया गया था लेकिन आज तक किसी भी दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस का आरोप है कि धान खरीदी में फैली अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस ने मांग की है कि धान की तौल निर्धारित 40.680 किलोग्राम वारदाना सहित के मानक के अनुसार की जाए। बिचौलियों के जरिए धान खरीदी पर तत्काल रोक लगे। राइस मिलों को विशेष निगरानी में रखा जाए जिनके यहां से पिक अप के माध्यम से धान मंडी आने की शिकायत मिली है। किसानों से दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो तथा नमी के नाम पर होने वाली अवैध वसूली पूरी तरह बंद की जाए। कांग्रेस ने साफ किया है कि 9 जनवरी का धरना प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा लेकिन यदि किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पार्टी ने कहा है कि अन्नदाता के साथ हो रहे अन्याय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसान न्याय की यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी।

हर माह की 7 तारीख को जिले में चावल उत्सव, रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आवास पूर्ण करने हेतु किया गया प्रोत्साहित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव, रोजगार दिवस एवं आवास दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अंबिकापुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत लब्जी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजनाद्दग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में आवास निर्माण सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया गया, हितग्राहियों को योजना के प्रावधानों के प्रति जागरूक करते हुए आवास निर्माण में आ रही समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा हैं। जनपद पंचायत सीईओ राजेश सेंगर द्वारा कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत में स्वीकृत, निमार्णाधीन एवं पूर्ण आवासों के हितग्राहियों की सूची का वाचन कराया गया तथा हितग्राहियों को अपने आवास निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया गया। जिन हितग्राहियों द्वारा 90 दिवस के भीतर अथवा अत्यंत शीघ्रता से आवास निर्माण पूर्ण किया, उन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत किस्त भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। जिन हितग्राहियों का केवाईसी लंबित पाया गया, उनका केवाईसी पूर्ण कराते हुए निर्धारित प्रगति के अनुसार 07 दिवस के भीतर लंबित किश्तों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 90 दिवस की अकुशल मजदूरी भुगतान की स्थिति पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में आवास निर्माण के दौरान आ रही स्थानीय, तकनीकी एवं सामग्री संबंधी बाधाओं पर हितग्राहियों से संवाद कर समाधान किया गया। निर्माण सामग्री, राजमिस्त्री एवं सेंटिंग प्लेट की उपलब्धता से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु स्व सहायता समूहों सहित सभी भागीदारों के साथ सामूहिक चर्चा आयोजित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के टोल फ्री नंबर 1800-233-1290 की जानकारी देते हितग्राही योजना से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु संपर्क करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच, पंच एवं जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

पलका में आवास दिवस का किया गया आयोजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। शासन के निदेर्शानुसार प्रत्येक माह की 7 तारीख को आयोजित किए जाने वाले आवास दिवस, रोजगार दिवस एवं चावल दिवस के अंतर्गत जनपद पंचायत उदयपुर की ग्राम पंचायत पलका में आवास दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हितग्राहियों को योजना से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। आयोजन के दौरान आवास हितग्राहियों को आवास किस्तों की प्रक्रिया तथा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रावधानित 90 दिवस की मजदूरी के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की गई एवं आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। हितग्राहियों को किश्त के अनुरूप आवास निर्माण में प्रगति लाते हुए निर्धारित समय-सीमा में आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया गया। आवास दिवस के अंतर्गत आयोजित चौपाल में ग्रामीणों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में हुए परिवर्तन एवं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार तथा आजीविका मिशन (ग्रामीण) की विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे ग्रामीणों को रोजगार एवं आजीविका से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। आयोजन के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाने एवं हितग्राहियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी वेद प्रकाश गुप्ता, कार्यक्रम अधिकारी नरेगा, आवास समन्वयक, तकनीकी सहायक, सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं आवास हितग्राही उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

बहकावे में आकर देशविरोधी साजिश रचना गंभीर मसला

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली दंगा मामले में आरोपित उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं देकर दिल्ली पुलिस की मजबूत चार्जशीट और सरकार की आतंक विरोधी नीति पर अपनी मुहर लगा दी। यह फैसला आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ सरकार की नीति को और मजबूत करता है। अदालत ने कहा कि आतंकी कृत्यों को केवल हिंसा तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें आवश्यक सेवाओं में व्यवधान और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा भी शामिल है। यह फैसला दर्शाता है कि किसी के बहकावे में आकर देशविरोधी गतिविधियां चलाने और साजिश रचने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 'आतंकवादी कृत्य' केवल अंतिम परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें साजिश और उकसावे की पूरी प्रक्रिया भी शामिल होती है। इससे आर्थिक असुरक्षा और नागरिक जीवन में अस्थिरता पैदा होती है, भले ही इस प्रक्रिया में हिंसा न की गई हो। शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली दंगों 'बड़े षड्यंत्र' मामले में आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर अपने फैसले में, 1967 अधिनियम की धारा 15(1) (ए) का उल्लेख करते हुए किसी अन्य माध्यम से वाक्यांश के अवशिष्ट अर्थ को रेखांकित किया और बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, ज्वलनशील पदार्थों, आग्नेयास्त्रों, अन्य घातक हथियारों, जहरीली, हानिकारक गैसों, अन्य रसायनों या किसी अन्य पदार्थ (चाहे जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्यथा) के उपयोग से किए गए आतंकी कृत्यों को परिभाषित किया है। हालांकि अदालत ने पांच अन्य आरोपितों को 12 शर्तों के साथ जमानत भी दी है। इनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। उमर और शरजील मामले में कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, सभी आरोपितों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। दोनों एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। यह फैसला दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश के मामले में आया है, जिसमें दोनों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने कहा, उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग और अधिक गंभीर प्रकृति की है। उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप स्थापित होते हैं। लंबे समय तक हिरासत में रहना अपने आप में जमानत का आधार नहीं बन सकता। यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, यह यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में जमानत के मानकों को स्पष्ट करता है। यूएपीए की धारा 43डी(5) जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है। इसमें न्यायिक जांच की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह फैसला आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ सरकार की नीति को मजबूत करता है। आतंकी कृत्यों को केवल हिंसा तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें आवश्यक सेवाओं में व्यवधान व अर्थव्यवस्था के लिए खतरा भी शामिल है। हालांकि, यह फैसला कई सवाल भी खड़े करता है। क्या खालिद व शरजील को जमानत नहीं मिलने से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? क्या यूएपीए का इस्तेमाल सरकार द्वारा विरोधियों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब देना हालांकि मुश्किल है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बहकावे में आकर देशविरोधी साजिश रचना एक गंभीर मसला है। देश की सुरक्षा और एकता को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

अचंभित दुनिया, बेलगाम ट्रंप

वेनेजुएला घटनाक्रम

डॉ घनश्याम बादल

जिस तरह ट्रंप ने अमेरिका में बैठकर कोलंबिया और मेक्सिको के राष्ट्रपतियों को भी धमकी दी वह और भी ज्यादा चिंताजनक परिस्थितियों की ओर संकेत करता है। ट्रंप का यह अभियान उसी 'रूल्स-बेस्ड ऑर्डर' का शव परीक्षण है, जिसकी दुहाई पश्चिम दशकों से देता आया है। भले ही ट्रंप मादुरो पर ड्रग तस्करी एवं आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। यदि ऐसे आरोप के आधार पर अमेरिका यह कार्रवाई करता है तो फिर उसका पहला टारगेट पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन आतंकिस्तान का नाम पा चुके इस देश को वह गोद में बैठाकर रखता है। वहां के सेना अध्यक्ष को लोकतांत्रिक सरकार को एक तरफ करते हुए लंच पर बुलाता है। ऐसे में वह दोहरी नीति क्यों अपनाता है।

लोकतंत्र के स्वयं भू ठेकेदार और दुनियाभर में थानेदारी करने वाले अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलविया फ्लोरेस के साथ बेडरूम से घसीट कर, बंधक बनाकर हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर डिटेंशन सेंटर में रखा है वह एक तानाशाह, वैध या अवैध राष्ट्रपति का अपहरण मात्र नहीं बल्कि वेनेजुएला के प्रतीक रूप में दुनिया भर के लोकतंत्र की आत्मा का अपहरण एवं प्रताड़ना है। इसके अलावा वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को धमकी देना और समर्थन करने वाले राष्ट्रों को धमकाना भी ट्रंप की तानाशाही को दर्शाता है। बेलगाम ट्रंप के इन कदमों से पूरी दुनिया अचंभित है।

जब किसी संप्रभु देश का राष्ट्रपति खुले तौर पर यह कहता है कि उसने दूसरे संप्रभु देश में सैन्य या अर्धसैन्य अभियान चलाकर वहां के राष्ट्राध्यक्ष को बंधक बनाया, तो यह केवल एक देश की कार्रवाई नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और वैश्विक व्यवस्था की सामूहिक अवहेलना बन जाती है। यह वही अमेरिका है जो दुनिया को लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून का पाठ पढ़ाता रहा है। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका का ताकत प्रदर्शन का यह चेहरा पहले भी कई बार सामने आ चुका है। चिली, पनामा, ग्वाटेमाला, अफगानिस्तान, वियतनाम, ईरान व इराक जैसे कितने ही देश में अमेरिका ने मनमाने आरोप लगाकर वहां के शासकों को सत्ता से बेदखल किया।

एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन नाम के इस अभियान के बाद जिस तरह ट्रंप ने अमेरिका में बैठकर कोलंबिया और मेक्सिको की राष्ट्रपतियों को भी धमकी दी वह और भी ज्यादा चिंताजनक परिस्थितियों की ओर संकेत करता है। ट्रंप का यह अभियान उसी 'रूल्स-बेस्ड ऑर्डर' का शव परीक्षण है, जिसकी दुहाई पश्चिम दशकों से देता आया है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप मादूरो पर ड्रग तस्करी एवं आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। यदि ऐसे आरोप के आधार पर अमेरिका यह कार्रवाई करता है तो फिर उसका पहला टारगेट पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन आतंकिस्तान का नाम पा चुके इस देश को वह गोद में बैठाकर रखता है। वहां के सेना अध्यक्ष को एक तरफ करते हुए लंच पर बुलाता है। अमेरिका की कथनी करनी में यह फर्क कोई पहली बार परिलक्षित नहीं हुआ है यह उसकी बहुत पुरानी फितरत रही है। यदि गहराई में जाया जाए तो इस अभियान का मूल राजनीतिक कारण है अपनी मनमाफिक सत्ता-परिवर्तन की ज़िद। और साथ ही साथ पेट्रोलियम, सोने एवं हीरे जैसे बहुमूल्य खनिजों की संपदा से मालामाल इस देश पर कब्जा करने की उसकी गिद्ध दृष्टि है। वैसे वेनेजुएला के साथ अमेरिका का संघर्ष कोई एक दिन का नहीं है। ह्यूगो चावेज़ के समय से ही वाशिंगटन की असहजता जगज़ाहिर रही है। निकोलस मादुरो उस असहजता की निरंतरता हैं। अमेरिका को समस्या केवल मादुरो से नहीं, बल्कि उस राजनीतिक

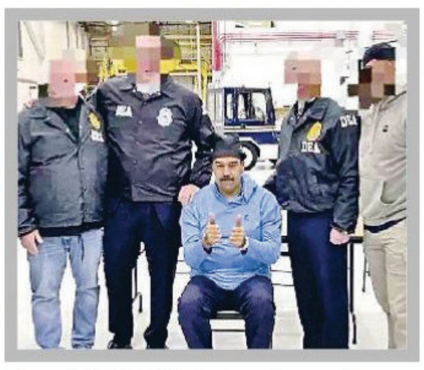

मॉडल से है जो अमेरिकी प्रभाव से बाहर निकलकर संसाधनों पर राष्ट्रीय नियंत्रण और सामाजिक राज्य की बात करता है।

ट्रंप के कृत्य से साफ है कि लोकतंत्र का सवाल केवल एक औज़ार था, असली लक्ष्य सत्ता-परिवर्तन। जब चुनाव, प्रतिबंध और कूटनीति काम नहीं आए, तो सीधा हस्तक्षेप ही अमेरिकी राजनीति का नंगा सच है।

इस घटनाका आर्थिक पक्ष तेल, डॉलर और सत्ता पर नियंत्रण है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों में से एक है। यह तथ्य इस पूरे घटनाक्रम की चाबी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक हैसियत तेल, डॉलर और नियंत्रण के त्रिकोण पर टिकी है। वेनेजुएला का अपने तेल संसाधनों पर संप्रभु नियंत्रण और चीन-रूस जैसे देशों से बढ़ता सहयोग, अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती था। ट्रंप का अभियान दुनिया भर के देशों को खुला धमकी भरा संदेश है कि ऊर्जा संसाधनों पर स्वतंत्र नीति अपनाने की कीमत चुकानी पड़ती है। यह संदेश केवल वेनेज़ुएला के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम देशों के लिए है जो वैश्विक आर्थिक ढांचे में अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। अमेरिकी हस्तक्षेप के पीछे केवल राजनीति और अर्थशास्त्र नहीं, एक गहरी सांस्कृतिक मानसिकता भी है। उसके पीछे की धारणा है कि अमेरिका को जो उचित लगे, वही वैश्विक नैतिकता है और जो उसे चुनौती दे उसे नेस्तनाबूद करना उसके लिए अनैतिक नहीं है। लैटिन अमेरिका का इतिहास इस मानसिकता का शिकार रहा है चिली, ग्वाटेमाला, पनामा, निकारागुआ और अब वेनेज़ुएला। हो सकता है इसके बाद कोलंबिया और मैक्सिको की भी बारी आए। जिसकी झलक ट्रंप के उस अभियान भरे बयान के बाद मिल रही है, जिसमें उन्होंने मेक्सिको के राष्ट्रपति को अपनी जान की परवाह करने की खुली धमकी दी है। ख़ैर कल जो होगा सो होगा। अभी तो वेनेज़ुएला के घटनाक्रम का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा है इसका आकलन करना ज़रूरी है

राष्ट्रपति को बंधक बनाना केवल एक व्यक्ति का अपहरण नहीं, पूरे राष्ट्र की संप्रभुता का अपहरण है। इससे वेनेज़ुएला के भीतर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, सामाजिक ध्रुवीकरण गहराएगा और हिंसा की आशंका प्रबल होगी। वहां का आम नागरिक जो पहले ही प्रतिबंधों, महंगाई और अभावों से जूझ रहा है अब और असुरक्षित महसूस करेगा। लोकतंत्र का दावा करने वाली ताक़तों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आम जनता उनके एजेंडे में सबसे आख़िर में आती है। भले ही तात्कालिक रूप से रूस चीन ब्रिटेन व यूरोपीय यूनियन के देश ने इस घटनाक्रम की आलोचना की है, लेकिन सच यह भी है कि यह आलोचना केवल शाब्दिक निंदा तक ही सीमित रहने वाली है। इस घटनाक्रम ने भारत के सामने भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। भारत परंपरागत रूप से संप्रभुता, गैर-हस्तक्षेप और बहुध्रुवीय विश्व का पक्षधर रहा है। वेनेज़ुएला के साथ भारत के ऊर्जा संबंध भी रहे हैं। नैतिकता की दृष्टि से भारत के लिए चुप रहना आसान नहीं होगा, लेकिन किसी पक्ष का अंध समर्थन भी भारत की गुटनिरपेक्ष रणनीति के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन यह सोचकर कि वेनेज़ुएला हमसे बहुत दूर का देश है इस मुद्दे पर चुप्पी खींच लेने से भारत की इमर्जिंग वर्ल्ड पावर की छवि पर भी एक बड़ा निशान खड़ा होगा। अमेरिका के इस दबंग कृत्य से संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति सब हाशिये पर जाते दिखाई दे रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि वेनेज़ुएला की घटना केवल एक देश की त्रासदी नहीं, वैश्विक लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है। जब सेना हथियार और आर्थिक ताक़त को नीति और अपहरण को कूटनीति बना दिया जाए, तो दुनिया अराजकता की ओर बढ़ती है। आज वेनेज़ुएला है, कल कोई और होगा। सवाल यह नहीं कि अगला कौन, सवाल यह है कि क्या दुनिया इसे रोकने का साहस दिखाएगी?

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

इंदौर की चेतावनी

सुनील कुमार महला

प्रदूषित जल से जन-जीवन पर गहराता जा रहा संकट

कहा गया है कि 'जल ही जीवन है।' लेकिन जल किसी की जान ले लें तो यह बहुत दुःखद ही कहा जाएगा। हाल ही में देश के सबसे साफ शहर माने जाने वाले इंदौर में गंदा पानी पीने से अब तक करीब 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिलहाल शहर के 41 अस्पतालों में कुल 203 मरीजों का इलाज चल रहा है और इनमें से 34 लोगों को आईसीयू में रखा गया है। अच्छी बात यह है कि गंदे पानी पीने से उल्टी-दस्त फैलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और मरीजों को जरूरी मेडिकल सुविधा दी जा रही है। हालांकि, लोकल लोगों का दावा है कि गंदे पानी से छह महीने के एक बच्चे समेत कुल 17 लोगों की जान गई है। यह घटना मुख्यतः शहर के कुछ इलाकों में हुई, जहां सीवर लाइन और जलापूर्ति पाइपलाइन में लीकेज/क्रॉस-कनेक्शन के कारण दूषित पानी घरों तक पहुंचा। इस पानी के सेवन से लोगों को तेज दस्त, उल्टी, बुखार और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं हुईं तथा जांच में पानी में हानिकारक बैक्टीरिया (जैसे ई-कोलाई) पाए गए, जो मानव मल से फैलते हैं। भारत ही नहीं, आज विश्व स्तर पर दूषित जल एक गंभीर मानव-स्वास्थ्य और विकास समस्या बना हुआ है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि विश्व तथा भारत-दोनों स्तरों पर दूषित जल (वाटर पोल्यूशन) के कारण लगभग समान हैं, हालांकि जनसंख्या घनत्व, औद्योगिकीकरण और प्रबंधन की कमी के कारण भारत में इनका प्रभाव अधिक गंभीर रूप में दिखाई देता है। प्रमुख कारणों में प्रमुख रूप से औद्योगिक अपशिष्टों, घरेलू सीवेज और मलजल,कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग,ठोस कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण,धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां, खनन और निर्माण गतिविधियां तथा भूजल का प्राकृतिक व मानवजनित प्रदूषण आदि को शामिल किया जा सकता। यह बहुत ही दुखद है कि आज विभिन्न कल-कारखानों से निकलने वाला रासायनिक कचरा, भारी धातुएं (सीसा, पारा, आर्सेनिक), रंग, एसिड और विषैले तत्व बिना पर्याप्त शोधन के नदियों, झीलों और भूजल में छोड़ दिए जाते हैं। इससे जल न केवल पीने योग्य नहीं रहता, बल्कि जलीय जीवन भी नष्ट होता है।

जल प्रदूषण का एक सबसे बड़ा और गंभीर कारण प्लास्टिक माना जा रहा है। आधुनिक जीवनशैली में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है जैसे पॉलीथिन बैग, बोतलें, पैकेजिंग सामग्री और डिस्पोज़ेबल वस्तुएं आदि। जिसके परिणामस्वरूप आज हमारी नदियों, झीलों और समुद्रों में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पहुंच रहा है। पाठक जानते हैं कि प्लास्टिक जैव-अपघटित नहीं होता, बल्कि सैकड़ों वर्षों तक जल में बना रहता है। धीरे-धीरे माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है। ये सूक्ष्म कण जलीय जीवों द्वारा निगल लिए जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु होती है और अंततः यही विषैले कण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर तक पहुंचते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक जल प्रवाह को बाधित करता है, नालों को जाम करता है और जल स्त्रोतों की प्राकृतिक शुद्धता को नष्ट करता है। इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा बन चुका है। आज दूषित जल की समस्या वैश्विक है, लेकिन भारत में कचरा प्रबंधन की कमजोरी इसे और गंभीर बनाती है। हमारा देश एक धार्मिक देश है और हमारे यहां नदियों, झीलों, पानी के विभिन्न स्त्रोतों आदि में मूर्तियों का विसर्जन, पूजा सामग्री, अस्थि विसर्जन और सामूहिक स्नान जैसी गतिविधियां जल में रसायन, रंग और जैविक कचरा बढ़ाती हैं, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। निष्कर्षतः, हम यहां यह बात कही सकते हैं कि आज विश्व और भारत दोनों में दूषित जल की समस्या मानव गतिविधियों का ही परिणाम है। यदि समय रहते प्रभावी जल प्रबंधन, अपशिष्ट शोधन और जन-जागरूकता नहीं बढ़ाई गई, तो यह समस्या भविष्य में और भी भयावह रूप ले सकती है। यदि हम यहां जल से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ के अनुसार आज भी दुनिया में लगभग 2.2 अरब लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवा से वंचित हैं, यानी उन्हें ऐसा पानी नहीं मिल पाता जो घर पर उपलब्ध, निरंतर और दूषण-मुक्त हो। इनमें से करीब 1.7 अरब लोग ऐसे जल स्त्रोतों का उपयोग करते हैं, जिनमें मल-जनित प्रदूषण का जोखिम रहता है, जबकि लगभग 115 मिलियन लोग सीधे नदियों, तालाबों और झीलों जैसे सतही जल पर निर्भर हैं। आंकड़े बताते हैं कि दूषित पानी के सेवन से हर वर्ष लगभग 5 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, जो एक गंभीर समस्या है।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मन को स्थिर रखना ही है जीवन का सूत्र

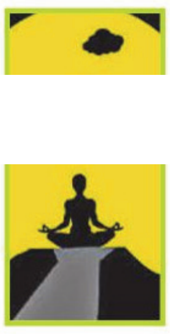

संकलित

दर्शन

काम, क्रोध, लोभ और मोह की स्वाभाविक वृत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य जब अपनी असत दृष्टि से इनमें आनंद का अनुभव करने लगता है, तो उसे यह संसार खुशनुमा लगने लगता है। काम अर्थात इच्छा। जब भी किसी व्यक्ति के मन में उठी इच्छा की पूर्ति होती है, तो वह परम आनंद को प्राप्त होता है, पर वह यह भूल जाता है कि उसकी यह इच्छापूर्ति उसी तरह से उसके मन में एक और इच्छा जागृत करके उसके चित्त को अव्यवस्थित कर देगी, जिस तरह से जलती हुई अग्नि पूरी मात्र में घी पाने पर भी बुझती नहीं है, अपितु और वेग से जलने लगती है। इसी भांति से यदि अन्य किसी व्यक्ति के साथ विचार भिन्नता होती है तो वे दोनों ही पक्ष एक-दूसरे की हानि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने चित्त की सहज शांति खो बैठते हैं। इस स्थिति में जिसकी हानि होती है वह तो दुखी होता ही है, जो लाभ में रहता है वह भी हारे हुए पक्ष की ओर से आने वाली संभावित प्रतिक्रिया से हर दम चिंता में डूबा रहता है। और इस तरह से क्रोध भी व्यक्तियों को पीड़ित करने का कारण ही बनता है। वहीं लोभ और मोह की असीमित शक्ति का तो यह हाल है कि हम अपना पूरा का पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं कि हमारे पास इतनी अथाह संपत्ति हो, जिसकी बराबरी धरती का कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी न कर सके और हमारी अपनी संतान भी ऐसी हो, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला न हो सके। रावण से लेकर कंस आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं, जो अपने जीवन में अपनी ऐसी ही मानसिक विकृतियों से कभी भी पार नहीं पा सके।

कोयल- अपनी वाणी को मधुर बना लेना

संकलित

प्रेरणा

एक बार वसंत ऋतु में एक कोयल वृक्ष पर बैठी कूक रही थी। आते-जाते लोग उसकी कूक को सुनते और उसकी सुरीली आवाज का आनंद लेते हुए उसकी तारीफ के पुल बांधते। कुछ देर बाद कोयल के सामने एक कौआ तेज गति से आया। कोयल ने उससे पूछाः इतनी तेज गति से कहां जा रहे हो? कुछ देर बैठो, बातें करते हैं। कौए ने उत्तर दियाः कि वह जरा जल्दी में है और देश को छोड़कर परदेस जा रहा है। कोयल ने इसका कारण पूछा तो कौआ बोलाः यहां के लोग बहुत खराब हैं। सब तुम्हें ही चाहते हैं। सभी लोग सिर्फ तुम्हारा आदर करते हैं। वह यही चाहते हैं कि तुम हमेशा की तरह इसी प्रकार से उनके क्षेत्र में गाती रहो। वहीं जहां तक मेरी बात है तो मुझे कोई देखना तक नहीं चाहता। यहां तक कि मैं किसी की मुंडेर पर बैठता हूं तो मुझे कंकड़ मारकर वहां से भगा दिया जाता है। मेरी आवाज भी कोई नहीं सुनना चाहता। जहां मेरा अपमान हो, मैं ऐसे स्थान पर एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। ज्ञानियों ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि अपमान की जगह पर नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर कोयल बोली, परदेस जाना चाहते हो तो बड़े शौक से जाओ। यह पूरी तरह से तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखना कि वहां जाने से पहले अपनी आवाज को बदल लेना। अपनी वाणी को मधुर बना लेना। यदि तुम्हारी वाणी ठीक वैसी ही कठोर रही, जैसी यहां पर है तो परदेस में भी लोग तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो अभी हो रहा है। संसार जो है, जैसा भी है, उसे बदला नहीं जा सकता।

अंतर्मन

आज की पाती

पानी में भी भ्रष्टाचार का जहर तो नहीं मिल गया?

प्राणी जाति के लिए साफ-सथुरा पानी अमृत है तो दूषित पानी जहर होता है, इसका सेवन करने से बचें। अक्सर देश के विभिन्न राज्यों में दूषित पानी लोगों की सेहत का दुश्मन बन जाता है। आजकल वो शहर इंदौर जिसे स्वच्छ भारत अभियान में नंबर वन का खिताब मिला है, वहां दूषित पानी से लोगों की मौत सुर्खियां बनी हुई हैं। अगर सबसे स्वच्छ स्थान का ही यही हाल बेहाल है तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा? लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर पानी दूषित कैसे हो जाता है? क्या पानी की सप्लाई के लिए जो व्यवस्था है, उसकी समय-समय पर जांच नहीं की जाती? या फिर संबंधित विभाग के बाबुओं को मोटी सैलरी से ही मतलब है? कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? - *विवेक पटनायक, रायगढ़*

X ट्रेंड f

हमारी महान संस्कृति

हमारी महान संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत अनगिनत हमलों की भी साक्षी रही है। यह देशवासियों की सामूहिक शक्ति ही है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को हमेशा अक्षुण्ण रखा है।
वनानि दहतो वह्नेः सखा भवति मारुतः।
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहृदम।।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

समुद्र सुरक्षित

एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र ही सुरक्षित व्यापार, सुरक्षित जीवन और सुरक्षित पर्यावरण की गारंटी देता है। ऐसे में 'समुद्र प्रताप' जैसे प्लेटफॉर्म समुद्री सुरक्षा को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हैं।
-राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

जनता की पैरवी करूंगी

चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। जब से एसआईआर शुरू हुई है, डर के मारे 70 लोगों की मौत हो चुकी है। जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और जनता के लिए पैरवी करूंगी। जनता की आवाज उठाऊंगी।
-ममता बनर्जी, सीएम पश्चिम बंगाल

यह हमारा निजी मामला

धर्मेंद्र के निधन के बाद मेरे परिवार द्वारा दो अलग-अलग प्रार्थना सभाएं आयोजित करने का निर्णय निजी मामला था। हमने आपस में बात की थी। मैंने अपने घर पर एक प्रार्थना सभा रखी, क्योंकि मेरे करीबी लोग अलग हैं और उनके अलग।
-हेमा मालिनी, अभिनेत्री व सांसद

करंट अफेयर

इमरान से जुड़ा गाना गाने पर गायक के खिलाफ मामला दर्ज

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने एक कार्यक्रम के दौरान जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा गाना गाने के आरोप में एक पेशेवर गायक और उसकी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया। पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया, 'शनिवार रात लाहौर के शालीमार गार्डन में सरकार द्वारा प्रायोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान 'कैदी नंबर 804' गाना गाने के आरोप में जाने-माने कव्वाल फराज अमजद खान और उनकी टीम के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।' उन्होंने बताया कि गायक और उनकी टीम ने सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देकर 'जनता को भड़काने' की कोशिश की क्योंकि यह गाना जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान से जुड़ा है। प्राथमिकी के मुताबिक, "विवादित गीत से अशांति और हिंसा भड़कने का खतरा था। संगीत और सांस्कृतिक संध्या 'चांदनी रातें' का आयोजन लाहौर प्राधिकरण द्वारा किया गया था। दूसरी ओर, गायक फराज अमजद खान ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया और कहा कि उन्हें इस 'इमरान समर्थक गीत' को गाने के लिए धमकाया गया था।

ऑफ बीट

कई ग्लुटेन मुक्त उत्पादों में कैलोरी-शर्करा अधिक

अमेरिकी उपभोक्ता अक्सर ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करते हैं, फिर भी ये उत्पाद आमतौर पर ग्लुटेन युक्त विकल्पों की तुलना में कम प्रोटीन और अधिक शर्करा एवं कैलोरी प्रदान करने वाले होते हैं। वर्तमान में कई ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों में फाइबर, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। इसके अलावा, ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों में आमतौर पर ग्लुटेन युक्त अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक शर्करा पाई जाती है। ग्लुटेन-मुक्त आहार के लंबे समय तक सेवन का संबंध 'बॉडी मास इंडेक्स' (बीएमआई) में वृद्धि और पोषण संबंधी कमियों से है। ग्लुटेन-मुक्त उत्पाद को अमेरिका में ऐसे उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें ग्लुटेन प्रति 10 लाख में 20 भाग से कम या उसके बराबर होता है। लेकिन ग्लुटेन-मुक्त उत्पाद में बड़े पैमाने पर गेहूं, राई, जौ और कभी-कभी जई की कमी होती है, जबकि ये सभी 'रबीनॉक्सिलन' के समृद्ध स्रोत हैं जो एक महत्वपूर्ण स्टार्च रहित पॉलीसेकेराइड है। अरबीनॉक्सिलन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जिसमें लाभकारी आंत बैक्टीरिया को बढ़ावा देना, पाचन को बढ़ाना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना और संतुलित आंत माइक्रोबायोटा का समर्थन करना शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 'बड़ी समस्या' पर शीर्ष अदालत सख्त

वायु प्रदूषण पर सीएक्यूएम को फटकार आयोग कर्तव्य निभाने में रहा 'नाकाम'

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को कर्तव्य निभाने में विफल रहने पर फटकार लगाई है। वहीं सीएक्यूएम की दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद टोल प्लाजा को हटाने या अस्थायी रूप से बंद करने की मांग को ठुकरा दिया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) दिल्ली बॉर्डर पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या हटाने के मुद्दे पर 2 महीने का समय मांगा था। जिस पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ठुकरा दिया और कहा कि आयोग अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा है। वहीं अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को चरणबद्ध तरीके से लंबे समय के समाधानों पर विचार करना शुरू करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह विभिन्न हितधारक के रुख से प्रभावित हुए बिना टोल प्लाजा के मुद्दे पर विचार करेगा। इसी के साथ दो हफ्ते में विशेषज्ञों की बैठक बुलाने और बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारणों पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग को समाधानों पर विचार करना शुरू करने का निर्देश

दिल्ली में टोल प्लाजा को हटाने या बंद करने की मांग ठुकराई

मुख्य कारणों पर रिपोर्ट जमा की जाए

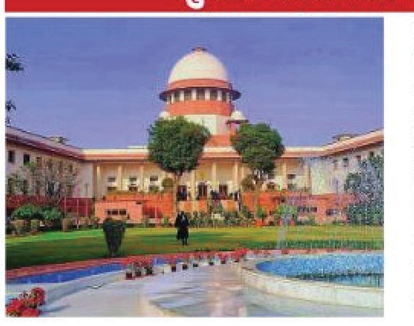

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची की पीठ ने आयोग को दो हफ्ते में एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुलाने और बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारणों पर एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि क्या आप प्रदूषण के कारणों की पहचान कर पाए हैं? इन सभी दिनों में बहुत सारा मटेरियल पब्लिक डोमेन में आ रहा है, एक्सपर्ट्स आर्टिकल लिख रहे हैं, लोगों की राय है, वे हमें मेल पर भेजते रहते हैं।

टोल प्लाजा के मुद्दे पर भी विचार करने का निर्देश

पीठ ने कहा कि भारी वाहन इसमें बड़ा योगदान दे रहे हैं। पहला सवाल यह है कि हम इससे कैसे निपटें। हमें आपकी बात मंजूर नहीं है। आयोग ड्यूटी निभाने में नाकाम हो रहा है। कोर्ट ने सीएक्यूएम को लंबे समय के समाधानों पर विचार करना करने, हितधारक के रुख से प्रभावित हुए बिना टोल प्लाजा के मुद्दे पर भी विचार करने का निर्देश दिया है।

कुत्ते की गिनती मामले पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा

शिक्षा मंत्री बोले- जनता से माफी मांगें केजरीवाल

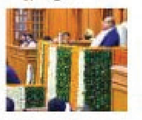

दिल्ली में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। कुत्ते की गिनती मामले को लेकर मंत्री एवं भाजपा विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। इसके चलते सुबह का सत्र दो बार स्थगित करना पड़ा। उधर, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल को भ्रम फैलाने के लिए सरकार एवं दिल्ली की जानता से माफी मांगने को कहा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने केजरीवाल से माफी मंगवाने की मांग करते हुए हंगामा किया। विधानसभा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे भाजपा विधायकों ने अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। लगभग आधे घंटे चले प्रदर्शन के बाद एक बार फिर विधानसभा सत्र शुरू हुआ, लेकिन भाजपा विधायक एक बार फिर केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए माफी की मांग करने लगे।

गिनती प्रकरण की होगी जांचः स्पीकर

दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आवारा कुत्तों की गणना के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखा गया। इससे सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनकी पार्टी झूठ फैलाकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है। मामले पर विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने मामले की जांच शिक्षा संबंधी स्थायी समिति से कराने की बात कही है।

बाहरी दिल्ली में हीटर से हादसा

डीएमआरसी इंजीनियर का परिवार जिंदा जला, बेड पर मिले 3 शव

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

बाहरी दिल्ली में आदर्श नगर के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित मेट्रो अपार्टमेंट्स में सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में हीटर फटने के बाद लगी आग में डीएमआरसी के इंजीनियर अजय विमल, उनकी पत्नी नीलम और 10 वर्षीय बेटी जान्हवी की जलकर मौत हो गई।

उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस के अनुसार सोमवार रात करीब 2.39 बजे आदर्श नगर थाना पुलिस को आग लगने की सूचना मिली। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। सोसाइटी के इन-हाउस फायर फाइटिंग सिस्टम की मदद से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया।

तलाशी के बाद मिले शव

दमकल कर्मियों ने फ्लैट में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मास्टर बेडरूम से तीनों के जले हुए शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय अजय विमल, उनकी 38 वर्षीय पत्नी नीलम और 10 साल की बेटी जान्हवी के रूप में हुई। मृतक इंजीनियर की पत्नी की पहचान शव पर चिपके कपड़े से हुई है।

उज्जैन के मूल निवासी थे अजय

मूलतः उज्जैन के रहने वाले थे असिस्टेंट इंजीनियर हादसे में मारे गए अजय मूल रूप से मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले थे। वह 15 वर्ष पूर्व दिल्ली आ गए थे। यहां दिल्ली मेट्रो में असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर के पद पर तैनात थे। मौके पर मौजूद उनकी बहन ऊषा ने बताया कि वे तीन बहन और दो भाई हैं। अजय छोटा भाई था। बड़े भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर हैं।

क्राइम और फोरेंसिक टीम ने की जांच

पुलिस ने बताया कि अजय विमल डीएमआरसी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। मौके पर क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि रूम हीटर में धमाके के बाद आग लगी, जिससे कमरे में आग तेजी से फैल गई। आग के दौरान कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण परिवार के सदस्यों को समय पर बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

मानहानि मामले में बोले प्रियांक

आरएसएस को बताया देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक

एजेंसी ▶▶ बेंगलुरु

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस को देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बताया। खरगे ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दायर कानूनी मामले संगठन के बारे में उनकी ओर से उठाए गए सवालों की प्रतिक्रिया हैं। खरगे ने एक अखबार का लेख साझा किया, जिसमें बताया गया था कि एक आरएसएस सदस्य की ओर से दायर मानहानि की शिकायत के मामले में एक विशेष अदालत ने उन्हें और राज्य के साथी मंत्री दिनेश गुंडू राव को नोटिस जारी किया है। संघ प्रमुख पर भी निशाना साधा है।

कठपुतलियों से दर्ज करवा रहे मामले

उन्होंने कहा कि कुछ चुनिंदा लोगों का समूह अपने कठपुतलियों का इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ मामले दर्ज करवा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम आरएसएस पर जायज सवाल उठा रहे हैं। आरएसएस राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस अपने स्वयंसेवकों के दिए गए दान से चलता है। इस दावे के संबंध में कई जायज सवाल उठते हैं। ये स्वयंसेवक कौन हैं और इनकी पहचान कैसे होती है?

स्केटिंग का लुत्फ

शिमला। मंगलवार को शिमला में एक बर्फीली सुबह में स्केटर्स आइस रिंक पर स्केटिंग कर रहे हैं।

मनपा चुनाव की दौड़ में मशाल की वार्ड 201 में चर्चा का बाजार गर्म

मुंबई ,मुंबई में वातावरण भले ही ठंडा हो गया हो लेकिन मुंबई महानगर पालिका चुनाव की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है , यहां के वार्ड क्रमांक 201 से शिवसेना (उद्धव ठाकरे), महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) गठबंधन ने विरोधी उम्मीदवारों की नींद उड़ा दी है, वार्ड क्रमांक 201 से समाजसेवक और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के कट्टर समर्थक शिवसैनिक चंद्रकांत कांबले की बहू रेखा मयूर कांबले अपने स्वर्गीय पिता तुल्य ससुर की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हैं , उनका मकसद केवल चुनाव लड़कर नगरसेविका बनाना नहीं बल्कि क्षेत्र की महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है , महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान करना और युवाओं को रोजगार के लिए मार्गदर्शन शिविर , रोजगार मेला और विद्यार्थियों के लिए स्वस्छ वातावरण निर्माण करना है

नवी मुंबई पुलिस ने चेन छीनने के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया

नवी मुंबई : नवी मुंबई पुलिस ने बताया कि पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट-3 ने तीन आदतन चेन-स्नैचरों को गिरफ्तार किया है और पनवेल और आसपास के इलाकों से दर्ज चेन स्नैचिंग के चार मामलों को सुलझाते हुए 9.93 लाख रुपये के चोरी हुए सोने के आभूषण बरामद किए हैं। ये गिरफ्तारियां पनवेल के वाघिवली वाडा में 12 दिसंबर को हुई एक घटना से संबंधित हैं, जहां एक 45 वर्षीय महिला पर शादी से घर लौटते समय हमला किया गया और उससे 48 लाख रुपये के सोने के गहने लूट लिए गए। आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़िता को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसके गहने लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद, सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) अजयकुमार लांडगे के मार्गदर्शन में अपराध शाखा इकाई-3 से एक विशेष टीम का गठन किया गया।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय मे मामला क्रमांकः 202601020700031/

विषयः- अ-6

मामले की श्रेणीः- राजस्व

सनः- 2025-2026

अंबिकापुर प.ह.न. 00015 [2798/16(0.0130हे0)]

पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार आशीर्वाद अग्रवाल,

अनावेदक पक्षकार - अंगूरी देवी, अरविन्द अग्रवाल, कविता अग्रवाल, सुशील अग्रवाल आशीर्वाद अग्रवाल,

ईश्तहार

आवेदक आशीर्वाद अग्रवाल आ०स्व० सुरेश अग्रवाल निवासी अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 2798/16 रकबा 0.013 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो से मृतक खातेदार अंगूरी देवी का नाम विलोपित किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 30/01/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र० //अ-20 (3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी नरेश प्रसाद गुप्ता उम्र लगभग 69 वर्ष जाति वैश्य निवासी सत्तीपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर,, जिला-सरगुजा छ०ग० के द्वारा शीट नम्बर-02 मोहल्ला सत्तीपारा नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 677/2 रकबा 0.04/0.016 एकड़ भूमि एवं निर्मित मकान को बैक में बंधक रखने की अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-16/01/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक-17/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क0-202503021700131/अ-27/2024-25

अंतिम फर्द बटवारा ईश्तहार प्रकाशन

आवेदक छतरपाल आ. स्व. घूरन व अन्य, निवासी ग्राम चठिरमा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा ग्राम चठिरमा स्थित खसरा नंबर 8 कुल रकबा 0.1700 हे० भूमि का आवेदक व अनावेदक जगपत राम आ० बुढ़िया, निवासी ग्राम चठिरमा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के मध्य खाता विभाजन हेतु हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा सूची एवं फर्द नक्शा का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है।अतः उक्त फर्द बंटवारा में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 16/01/2026 दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।आज दिनांक 24/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर -2

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका हेमलता यादव पत्नि देवलाल, उम्र 39 वर्ष, जाति अहिर, निवासी वार्ड नं. 15 पश्चिमी नेपाल गेट, चरचा शिवपुर, तह० चरचा जिला कोरिया (छ.ग.) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है. कि अनावेदिका श्रीमती प्रमिला देवी पत्नि जीतू राम यादव, उम्र 75 वर्ष, जाति अहीर, निवासी सत्तीपारा, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा स्वयं के स्वामित्व व अधिपत्य की मोहल्ला दरीपारा नगर अम्बिकापुर स्थित भूखण्ड क्रमांक 3640 रकबा 0.04 एकड़ में से रकबा 0.02 एकड़ भूमि का पंजीबद्ध दानपत्र पंजीयन दिनांक 18/11/2025 का निष्पादन आवेदिका के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध दान पत्र के आधार पर उक्त दानशुदा भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज कराने हेतु आवेदिका द्वारा पंजीबद्ध दान पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है 1 अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21/01/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 24/12/2025 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार, पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ०ग०)

रा०मा०क०/202512030900031/अ/6/2025-26

ग्राम-बटूराकछार, तहसील पत्थलगांव

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम बटुराकछार को सूचित किया जाता है, कि आवेदक धनसाय पिता डेब्बा जाति उरांव निवासी ग्राम बदुराकछार, रा०नि०म० / तहसील-पत्थलगांव जिला जशपुर (छ०ग०) के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-109,110 छ०ग०भू०रा० संहिता 1959 प्रस्तुत किया है कि ग्राम बटुराकछार, प०ह०नं० 03 रा०नि०म० / तहसील-पत्थलगांव जिला-जशपुर (छ०ग०) स्थित भूमि कुल ख०न० 3 कुल रकबा 2.1910 हे० भूमि वर्तमान में मोहर साय पिता डेब्बा के नाम पर स्थित है। मोहर साय वर्तमान में कहां है। जीवित है या मृत है। ग्रामवासियों एवं उनके रिश्तेदारों को नहीं पता है। अतः उक्त भूमि पर से मोहर साय पिता डेब्बा का नाम विलोपित किया जाकर आवेदक का नाम दर्ज किये जाने बावत आवेदन पत्र मय बी-1, मिशल बन्दोबस्त, अधिकार अभिलेख की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।उक्त नामान्तरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर आपत्ति या दावा हो तो वह स्वयं अथवा मान्य अधिवक्ता अथवा वैध अभिकर्ता के मय दस्तावेज दिनांक 19/01/2026 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 26/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

तहसीलदार पत्थलगांव
जिला-जशपुर (छ०ग०)

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः 202601020700022/

विषयः- अ-6

मामले की श्रेणीः- राजस्व

सन्नः- 2025-2026

अंबिकापुर प.ह.न. 00015 [2497/14(0.0360हे0)]

पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार मो० शहाबुददीन. अनावेदक पक्षकार -मो. कमरूनमा,

ईश्तहार

आवेदक मो० शहाबुददीन आ०स्व० मो० कमरूजमा व अन्य निवासी मोमिनपुरा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 2497/14 रकबा 0.036 हे० भूमि के राजस्व अभिलेखों से मृतक खातेदार मो० कमरूजमा का नाम विलोपित कर फौती नामांरतण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 30/01/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः 202601020700034/

विषयः- अ-6

मामले की श्रेणी राजस्व

सनः- 2025-2026

अंबिकापुर प.ह.न. 00015 [4422/4(0.0060हे0)]

पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार मो० शहाबुददीन. अनावेदक पक्षकार - सुधीर सिंह,

ईश्तहार

आवेदक मो० शहाबुददीन आ०स्व० मो० कमरूजमा व अन्य निवासी मोमिनपुरा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 4422/4 मेसे रकबा 0.006 हे० भूमि के राजस्व अभिलेखों में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24/03/2017 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 30/01/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०कृ0/अ-27/2025-26 20260102190005

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बाबूलाल केरकेटटा आ० मोहरसाय, जाति उरांव, निवासी ग्राम सरगंवा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा ग्राम सरगंवा स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 14 कुल रकबा 2.444 हे0 भूमि का अपने जीवन काल में खाता बटवारा कराने बावत आवेदन छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 (क) के तहत प्रस्तुत की गई है।उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 28/01/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । आज दिनांक 06/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क०,202601021700006-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनोज कुमार यादव आ. रमेश चंद यादव, जाति अहीर, निवासी निमिया दामर, गॉजर थाना व तहसील रामानुजगंज, जिला सरगुजा छ.ग. द्वारा ग्राम डिगमा स्थित भूमि खसरा नंबर 56/2 रकबा 0.080 हे० भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 26/11/2024 को निष्पादित वसीयत के आधार पर वसीयतकर्ता शिवप्रसाद कुमार यादव पिता श्री रमेश चंद यादव का नाम विलोपित कराकर, अपना नाम दर्ज कराने बावत आवेदन पत्र पेश किया गया है।उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 28/01/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । आज दिनांक 06/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-02

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र०- /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक उषा गुप्ता पति राजेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासी रामानुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज छ0ग0 के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 4987/4 रकबा 0.020 है० भूमि को अनावेदक अरविन्द कुमार अग्रवाल आ०स्व० राधेश्याम अग्रवाल निवासी सेठ बसंतलाल मार्ग गददीपारा नगर अम्बिका पर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग) के पास अंकन राषि रुपये 10,00,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर विक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 21/01/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 06/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर, सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र०- /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मालती देवी पति कृष्ण गुप्ता उर्फ कृष्णा गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 12 कृष्ण मंदिर रोड रामानुजगंज तहसील रामानुजगंज जिला बलरामपुर छ०ग) के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 4987/1 रकबा 0.087 हे0 भूमि को अनावेदक अरविन्द कुमार अग्रवाल आ०स्व० राधेश्याम अग्रवाल निवासी सेठ बसंतलाल मार्ग गददीपारा नगर अम्बिका पर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास अंकन राषि रुपये 21,00,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 21/01/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 06/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर, सरगुजा

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ को दी बधाई: मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने का संकल्प दोहराया

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर।केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिला अस्पताल रायपुर स्थित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी आईपीएचएल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एनक्यूएएस का प्रमाणन प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी है।छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को लिखे पत्र में नड्डा ने उल्लेख किया कि रायपुर आईपीएचएल देश में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला बन गई है, जिसे यह प्रतिष्ठित प्रमाणन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की विश्वसनीय एवं क्वालिटी-अश्योर्ड डायग्नोस्टिक सेवाएँ प्रदान करने की बढ़ती क्षमता को दशार्ती है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि को राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और रायपुर जिला अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण का प्रमाण बताया।उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जनविश्वास को मजबूत किया है और सेवा-प्रदाय के नए मानक स्थापित किए हैं।केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने आगे कहा कि आईपीएचएल की स्थापना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन (ढट-अइळकट) का एक महत्वपूर्ण घटक है।यह मिशन पूरे देश में स्वास्थ्य निगरानी, प्रयोगशाला नेटवर्क और आपदा तैयारी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि इस मिशन का मूल उद्देश्य गुणवत्ता-सुनिश्चित, अस्पताल-विशिष्ट एवं रोग-विशिष्ट प्रयोगशाला निदान उपलब्ध कराना है।

रायपुर आईपीएचएल को प्रदान किया गया यह प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रयोगशाला ने अपने मानव संसाधन, अत्याधुनिक उपकरणों और उन्नत अधो संरचना का सफलतापूर्वक एकीकरण करते हुए राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को प्राप्त किया है।केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यह उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया कि वह रायपुर मॉडल को श्रेष्ठ अभ्यास (बेस्ट प्रैक्टिस) के रूप में अपनाते हुए राज्य के अन्य जिलों और क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया।उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।मुख्यमंत्री साय ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जिलों में गुणवत्तापूर्ण प्रयोगशाला एवं डायग्नोस्टिक सेवाओं का निरंतर विस्तार करती रहेगी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रौद्योगिकी-सक्षम और मानक-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को भी दशार्ती है।यह प्रमाणन संस्थागत परिपक्वता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता आश्वासन की सुदृढ़ होती संस्कृति का परिचायक है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि रायपुरआईपीएचएल को प्राप्त हुआ एनक्यूएएस प्रमाणन छत्तीसगढ़ की संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह सफलता दशार्ती है कि राज्य में प्रयोगशाला सेवाओं के मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, प्रशिक्षित मानव संसाधन, आधुनिक उपकरणों और मजबूत अवसंरचना के क्षेत्र में सतत एवं परिणाममूलक सुधार किए गए हैं।श्री जायसवाल ने कहा कि यह प्रमाणन केवल एक संस्थान की उपलब्धि नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों, लैब तकनीशियनों, पैरामेडिकल स्टाफ और जिला अस्पताल रायपुर की समर्पित टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य के अन्य जिलों में भी आईपीएचएल को इसी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध, सटीक और विश्वसनीय जांच सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने पुनः आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार और गुणवत्ता संवर्धन के लिए निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य परिवर्तन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान सुदृढ़ करेगा।

वित्तीय समावेशन पर आधारित दीदी के गोठ का छठवां एपिसोड 08 जनवरी को होगा प्रसारित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा संचालित लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ह्यदीदी के गोठह्व का छठवां एपिसोड आगामी 08 जनवरी 2026 को प्रसारित किया जाएगा। यह एपिसोड वित्तीय समावेशन की थीम पर आधारित होगा, जिसमें स्व-सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी प्रेरक कहानियों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। इस विशेष एपिसोड में दुर्ग, बालोद एवं गरियाबंद जिलों की दीदियाँ अपने

जीवन के अनुभव साझा करेंगी। वे बताएंगी कि बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ाव, नियमित बचत, ऋण, बीमा तथा डिजिटल लेन-देन जैसी वित्तीय सेवाओं ने उनके जीवन में किस प्रकार सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाए हैं। कार्यक्रम के माध्यम से यह भी रेखांकित किया जाएगा कि ग्रामीण महिलाएँ किस तरह राज्य की अर्थव्यवस्था में सशक्त भागीदारी निभा रही हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा का संदेश भी प्रसारित किया जाएगा।

सशक्त मानसिकता से आत्मनिर्भरता की ओर - पोषण निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं सूरजपुर की महिलाएं

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की नींव सशक्त मानसिकता पर आधारित होती है। दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास व्यक्ति को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। सूरजपुर जिले की स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने इस सोच को व्यवहार में उतारते हुए आत्मनिर्भरता की एक सशक्त मिसाल प्रस्तुत की है।ये महिलाएं न केवल स्वयं सशक्त बन रही हैं, बल्कि जिले की महिलाओं एवं बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के अभियान में भी महत्वपूर्ण

भूमिका निभा रही हैं।

पोषण और महिलाओं का सशक्तिकरण दोनों होता है

पोषण आहार (रेडी-टू-ईट या आरटीई) निर्माण संयंत्र सरकार द्वारा संचालित ऐसी इकाइयाँ हैं, जो आंगनवाड़ियों और अन्य योजनाओं के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए पौष्टिक, पहले से तैयार भोजन बनाती हैं, जिसे महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा चलाया जाता है, जिससे पोषण और महिलाओं का सशक्तिकरण दोनों होता है, जिसमें गेहूं, दालें, और दूध जैसे घटक शामिल होते हैं, जो प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

स्वादिष्ट एवं पौष्टिक नमकीन दलिया तथा मीठा शक्ति आहार का निर्माण

जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तत्काल उपभोग हेतु तैयार पोषण आहार (रेडी टू ईट) निर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। इन संयंत्रों में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक नमकीन दलिया तथा मीठा शक्ति आहार का निर्माण किया जा रहा है, जो विटामिन ह्यए, विटामिन डी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरीडॉक्सिन, फोलिक अम्ल, कोबालामिन, लोह तत्व (आयरन), कैल्शियम एवं जिंक जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है।

जिले प्रशासन द्वारा जिले में कुल 07 पोषण आहार निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए है। यहां वर्तमान में भैयाथान, प्रतापपुर एवं सूरजपुर विकासखंड में तीन संयंत्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।इन तीनों संयंत्रों में 32 महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से पोषण आहार निर्माण कार्य में संलग्न हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट निर्माण को लेकर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने ली समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित तीसरे बजट की तैयारियों के तहत मंगलवार को मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट निर्माण संबंधी एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने की। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत पंचायत संचालनालय, ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा इकाइयों द्वारा

प्रस्तुत बजट मांग प्रस्तावों पर क्रमवार चर्चा करते हुए उनकी उपयोगिता और प्राथमिकताओं की गहन समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बजट प्रावधान व्यवहारिक एवं प्रभावी होने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण अधोसंरचना के विस्तार, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजन, स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, आवास निर्माण, स्वच्छता अभियानों तथा आजीविका से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किए जाएँ। उन्होंने वीबी जी राम जी अधिनियम के तहत विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रस्ताव निर्माण एवं क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने नवीन योजना प्रारम्भ कर आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाली महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं एवं लखपति दीदियों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि विभागीय बजट केवल व्यय तक सीमित न होकर ठोस परिणाम देने वाला होना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित समाधान, क्षमता संवर्धन और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से पंचायत व्यवस्था को अधिक सक्षम एवं पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने प्रत्येक योजना के साथ स्पष्ट लक्ष्य, अपेक्षित उपलब्धियाँ और लागत एवं लाभ का आकलन अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री शर्मा ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्ययोजना पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट गांवों में आत्मनिर्भरता, बुनियादी सुविधाओं की मजबूती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सचिव भीम सिंह, पंचायत संचालक श्रीमती प्रियंका महोबिया, संचालक तारण प्रकाश सिन्हा, संचालक अश्विनी देवांगन सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बढ़ रही हैं स्वास्थ्य सुविधाएं

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है।मुख्यमंत्री द्वारा जिलेवासियों को दी गई 10 अतिरिक्त संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंसों की सौगात के बाद आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सशक्त हुई हैं। वर्तमान में जिले में कुल 24 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस जीवन रक्षक बनकर दिन-रात जिले के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में दौड़ रही हैं। जिले के संजीवनी एक्सप्रेस 108 के प्रबंधक दीपक साहू ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान डायल 108 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा के माध्यम से जिले में कुल 10,114 मरीजों को समय पर आपातकालीन

स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों, ह्दयाघात, सर्पदंश तथा प्रसूति जैसे आपात मामलों में इन एंबुलेंसों ने अहम भूमिका निभाई है। डायल 108 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस से 2025 में 572 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कई मामलों में एंबुलेंस के भीतर ही सफल प्रसव कराकर माँ और नवजात की जान बचाई गई, जो एंबुलेंस में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तत्परता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त 10 एंबुलेंसों के चलते दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक भी त्वरित स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित हो पाई है।इससे न केवल प्रतिक्रिया समय में कमी आई है, बल्कि ग्रामीण अंचलों के लोगों को भी समय पर जीवन रक्षक चिकित्सा सुविधा मिल रही है।

आदिम जाति मंत्री ने किया जर्नी ऑफ सेनीटेशन हाईजिन का किया शुभारंभ

संस्थागत स्वच्छता को मिलेगा नया आयाम, युवाओं के लिए सृजित होंगे रोजगार के अवसर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर।छत्तीसगढ़ शासन में आदिम जाति विकास, विकास विभाग के मंत्री एवं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम तथा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खड़गवां जनपद ग्राउंड से राज्य की पहली अभिनव पहल जर्नी ऑफ सेनीटेशन हाईजिन (जोश) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संस्थागत शौचालयों की नियमित, वैज्ञानिक एवं सुरक्षित सफाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुरूआत की गई। छत्तीसगढ़ में इस अभिनव पहल से संस्थागत स्वच्छता को नया आयाम मिलेगा वहीं युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित होंगे।ह्यजोश पहल स्वच्छता, स्वास्थ्य और रोजगार-तीनों को एक सशक्त सूत्र में

जोड़ती है। इसके अंतर्गत स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य संस्थागत एवं सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई हेतु स्थानीय युवाओं को ह्यस्वच्छता प्रहरी के रूप में कार्य का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम भी है।ह्यजोश पहल के माध्यम से युवा स्वच्छता प्रहरी बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बनेंगे। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के दिशा-निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में इस पहल की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रारंभिक चरण में प्रत्येक जनपद में एक स्वच्छता प्रहरी के माध्यम से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना की सफलता के आधार पर इसे पूरे जिले में विस्तारित किया जाएगा।

स्वच्छता प्रहरी की भूमिका

जोश के अंतर्गत स्वच्छता प्रहरी निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे तथा आधुनिक उपकरणों की सहायता से संस्थागत एवं सामुदायिक शौचालयों की पाक्षिक एवं मासिक सफाई सुनिश्चित करेंगे। इससे शौचालयों की उपयोगिता बढ़ेगी और स्वच्छता स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा।

स्वच्छता एवं सुरक्षा किट का वितरण

कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता प्रहरियों को आधुनिक सफाई उपकरणों से युक्त स्वच्छता किट एवं आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रदान की गई, जिससे वे सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

स्वच्छता शुल्क व्यवस्था

संस्था प्रभारी के अनुरोध पर शौचालय की सफाई उपरांत प्रति यूनिट 200 रूपए स्वच्छता शुल्क स्वच्छता प्रहरी को प्रदान किया जाएगा, जिससे युवाओं को अतिरिक्त आय का अवसर प्राप्त होगा।

प्रारंभिक चयन

प्रारंभिक चरण में जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ से बेलबहरा निवासी प्रतिम कुमार, जनपद पंचायत खड़गवां से पोंडीडीह निवासी राजेश कुमार सहित भरतपुर जनपद से कुल तीन युवाओं को ह्यजोशह्व पहल के अंतर्गत कार्य हेतु स्वेच्छा से चिन्हांकित किया गया है।

अंतर-विभागीय अनुबंध

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जनपद पंचायतों के साथ अंतर-विभागीय अनुबंध किया गया है, जिससे संस्था प्रमुखों को स्वच्छता प्रहरी की सेवाएं सरलता से उपलब्ध हो सकें। यह पहल छत्तीसगढ़ में संस्थागत स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करेगी और युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर सृजित करेगी।

सड़क किनारे पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाईक, पूरी रात ठंड में पड़ा रहा आहत

समाजसेवियों की तत्परता से बची जान, जिला अस्पताल रेफर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिहारपुर। मंगलवार की देर शाम तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर महूली मोड़न के पास पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद युवक पूरी रात कड़ाके की ठंड में सड़क किनारे बेसुध पड़ा रहा, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले ग्रामीणों ने सड़क किनारे घायल अवस्था में युवक को देखा। घटना की जानकारी मिलते ही समाजसेवियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल थाना एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर को सूचना दी।

सूचना देने और राहत कार्य में लक्ष्मण जायसवाल, सियाराम साहू, बसंत साहू, शिशुपाल जायसवाल कांग्रेस मंडल अध्यक्ष महूली की अहम भूमिका रही। समाजसेवियों की मदद से एंबुलेंस को बुलाया गया और घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर पहुंचाया गया। आहत जयकरण सिंह 35 वर्ष भंवरखोह का है। प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल बैढ़न रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के बाद युवक लंबे समय तक ठंड में पड़ा रहा, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई है।

11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के सरपंचों ने किया धरना प्रदर्शन, निकाली रैली

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौपा ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को जिले के सरपंचो ने यहां पुराना बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन में शामिल ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को संघ के पदाधिकारियों द्वारा संबोधित कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद किया। ततपश्चात धरना स्थल से रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां जिला सरपंच संघ द्वारा राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौपा है।

उक्त प्रदर्शन सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष अमर सिंह मरकाम के नेतृत्व में किया गया है। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने जो 11 सूत्रीय मांगे की है उसमें ग्राम पंचायत को 50 लख रुपए तक के निर्माण कार्य, एजेंसी धरती आबा योजना से जोड़ा जाए, पंचायत का 15 एवं 16वां वित्त की राशि तत्काल जारी की जाए, सरपंचों की मानदेय राशि 15 हजार, 5 हजार पेंशन पंचों की मानदेय 2 हजार, पंचायतों को मिलने

वाली मूलभूत की राशि को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की जाय, पंचायत में कार्यक्रम के लिए अलग से बजट का प्रावधान हो, ग्राम पंचायत को निर्माण कार्य के लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ रूपए, जी राम जी योजना अंतर्गत 60 एवं 40 की रेसियो को सभी ग्राम पंचायत में मजदूर एवं सामग्री का बजट तत्काल जारी किया जाए, 15 एवं 16वां वित्त के राशि की टाइमिंग को समाप्त किया जाए, भूमि खरीदी और बिक्री में सरपंच का प्रमाण पत्र एवं पंचनामा लिया जाए एवं मवेशियो के संरक्षण हेतु पूर्व में निर्मित गौठान को पुन: संचालित किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर जिला सरपंच संघ के द्वारा इस चेतावनी के साथ ज्ञापन दिया गया है कि अगर जनवरी माह के अंदर मांग पुरी नहीं हुई तो फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी सरपंच चले जाएंगे। जिसकी संपूर्णजिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपने वालों में सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष अमर सिंह मरकाम, पिंकी सिंह रामविलास सिंह, रनमानिया बाई संत कुमार सिंह प्रभु नारायण श्याम अनिल सिंह नंद देव सिंह त्रिभुवन सिंह गजमोचन सिंह सुंदर सिंह, कपिल देव पैकरा रामचंद्र टेकाम निरूपा सिंह नेताम नंद देव सिंह केराम सतवीर सिंह शत्रुघ्न सिंह सावित्री सिंह राम लखन सिंह गोवर्धन मरकाम सावित्री सिंह, उमेश सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, भागवत पैकरा, परबतिया सिंह, अक्षय सिंह, संत सिंह, बृजलाल राम सिंह, चंद्रमन सहित बड़ी संख्या में जिलेभर के सरपंच एवं पंच शामिल रहे। मंच संचालन श्री लाल केश्वर सिंह सरुता के द्वारा किया गया।

धान खरीदी केंद्रों का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। बुधवार को कलेक्टर एस. जयवर्धन ने जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने धान खरीदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। धान खरीदी केंद्र परशुरामपुर के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों को पुराने धान को बिक्री से रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि कहीं बाहरी धान के अवैध खपाने की जानकारी मिले तो तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराएं ताकि संबंधितों पर कार्रवाई की जा सके। कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों में किसानों के रकबा सुधार, केंद्रों में टोकन व्यवस्था तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने धान उठाव की स्थिति की जांच करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त

कार्रवाई की जाएगी। उमेश्वरपुर धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने तौल के तुरंत बाद बारदाना की सिलाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं टोकन का सत्यापन किया तथा धान की नमी मात्रा की भी जांच की। केंद्र में अव्यवस्था पाए जाने पर उमेश्वरपुर समिति प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने मंहगई धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां टोकन सत्यापन, रकबा समर्पण की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री जयवर्धन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी कार्य पूरी पारदर्शिता, समयबद्धता और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस दौरान खाद्य अधिकारी संदीप भगत सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने घोषित की 2026 के नेशनल लोक आदालत की तिथियाँ

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2026 में नेशनल लोक आदालत हेतु तिथियाँ घोषित की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा आम नागरिकों को शीघ्र, सुलभ तथा किफायती न्याय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए चार नेशनल लोक अदालतों की अधिकारिक तिथियाँ जारी कर दी गई हैं। लोक आदालतें न्याय प्राप्त करने का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जो दोनों पक्षों के बीच समझौते और सौहार्द पर आधारित है।

वर्ष 2026 के लिए नेशनल लोक अदालतों की निर्धारित तिथियाँ इस इस प्रकार हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी न्यायालयों में एक ही दिन 14 मार्च, 9 मई, 12 सितंबर एवं 12 दिसम्बर को ये अदालते आयोजित की जाएंगी। लोक अदालते भारतीय न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं, जो ''न्याय सबके लिए'' सिद्धांत को साकार करती है। लोक अदालत में मामला दायर करने के लिए कोई पृथक शुल्क की आवश्यकता नही होती। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। लोक अदालत यह सुनिश्चित करता है कि विवाद का समाधान स्थायी हो।

पक्षकारों को वर्षों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। विवादों का समाधान उसी दिन या कुछ ही सुनवाई में हो जाता है, जिससे समय एवं मानसिक तनाव दोनों की बचत होती है। मुख्य रूप से समझौता योग्य सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, वर्षों से लंबित राजस्व और छोटे आपराधिक मामले, बैंक ऋण, चेक बाउंस संबंधी मामले तथा मुकदमेबाजी-पूर्व मामलों सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं बिजली, पानी, टेलीफोन के बकाया बिलों और क्लेम से सबंधित जो कोर्ट तक नही गया है, तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर ने सभी नागरिकों से अपील किया है कि करता है कि वे निर्धारित इन महत्वपूर्ण तिथियों का संज्ञान लें। कोई भी नागरिक जिसका मामला पहले से ही किसी न्यायालय में लंबित है, या जो किसी विवाद को कोर्ट ले जाने से पहले ही सुलझाना चाहते है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है। किसी प्रकार की विधिक सलाह या सहायता के लिए नालसा की टोल फी नम्बर 15100 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ड्राईविंग लायसेंस एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता कैम्प लगाने की मांग, एनएसयूआई ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। एनएसयूआई ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौपकर जिले के महाविद्यालयों में ड्राईविंग लायसेंस कैम्प आयोजित करने एवं सड़क सुरक्षा

जागरूकता अभियान चलाये जाने की मांग की है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आकाश साहू के नेतृत्व में सौपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि जिला शैक्षणिक एवं युवाओं का केन्द्र है यहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं प्रतिदिन दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का उपयोग करते है इस बीच जानकारी के अभाव और विधिवत ड्राईविंग लायसेंस न होने के कारण लगातार सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है जो कि अत्यंत चिंताजनक विषय है। जिस ओर ध्यान देते हुए जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ड्राईविंग लायसेंस हेतु विशेष कैम्प लगाने की मांग की गई है। जिससे विद्यार्थियों को सरल प्रक्रिया में लायसेंस उपलब्ध हो सके साथ ही उक्त कैम्पो में सड़क सुरक्षा नियमों जैसे हेलमेट एवं सीट बेल्ट की अनिवार्यता, गति सीमा, यातायात संकेतों एवं सुरक्षित वाहन संचालन के विषय में जागरूकता कार्यक्रम सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा आयोजित करने की मांग की है जिससे सड़क दुर्घटना में कमी हो सके इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश सचिव राजेश साहू, मुस्तफा खान, सह सचिव लिवनेश सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, रेहान, शिवम साहू, अंकुश गुप्ता, मनोज सिंह, नितेश साहू, कमलेश सिंह, सोमू खान, आयुष शांडिल्य एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलेगा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम : अखिलेश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। बुधवार को यहां भाजपा जिला कार्यालय में प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री सोनी ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाते हुये कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के अनुरूप घर-घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएँ लागू की गईं। विकसित

भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने स्पष्ट किया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा।

उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों और कृषि गतिविधियाँ प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन भी रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि मनरेगा में पहले फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के उपयोग और धांधली की शिकायतें मिलती थीं, जिन्हें यह नया अधिनियम स्वत: समाप्त करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा।जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन। जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने तथा सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे।

भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार एवं सतत आय के नए अवसर सृजित होंगे और पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी इससे बल मिलेगा। यह अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा। पत्र वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी, भाजपा प्रदेश मंत्री शिवनाथ यादव, प्रदेश अजजा मोर्चा अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष रामकृपाल साहू, जिला महामंत्री शशिकांत गर्ग व अशोक सिंह, जिला कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, जिला प्रवक्ता मुकेश गर्ग, नगर पालिका उपाध्यक्ष शैलेश गोयल, संध्या सिंह, मधुसूदन शुक्ला, गौरी सिंह ललित गोयल, कैलाश सिदार अनिल साहू विजय रजवाड़े लीलू गुप्ता नीरज गुप्ता, रामानंद जायसवाल व प्यारे साहू सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पत्थलगांव जिला जशपुर के न्यायालय में मामला क्रमांक 202601031100004

विषय:– अ–2 मामले की श्रेणी:– राजस्व सन् :– 2025–2026

गोढीकला प.ह.न. 00011 [109/6(0.2020 हे0)

पक्षकारों का विवरण आवेदक पक्षकार– इलिसियुस लकड़ा आ.सोनसाय लकडा अनावेदक पक्षकार –छ.ग. शासन

ईश्तहार

एतद द्वारा समस्त आम जनता ग्राम गोढीकला प.ह.न. 11 तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि आवेदक इलिसियुस लकड़ा पिता सोनसाय लकड़ा जाति उरांव निवासी ग्राम छालासराई तहसील बागबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.) के घ्द्वारा ग्राम गोदीकला प.ह.न. 11, रा.नि.नं. केराकछार, जिला–जशपुर (छ.ग.) स्थित भूमि ख.नं. 109/6 रकबा 0.2020 है० (2020 वर्गमीटर) भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ (राईसमिल निर्माण) के लिये व्यपवर्तन कराये जाने हेतु छ.ग.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 22/01/2026 को स्थान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पत्थलगांव के न्यायालय में न्यायालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक होना नियत किया गया है, अतः इसमें जिस किसी भी व्यक्ति को दावा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे नियत दिनांक/समय स्थान को मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त किसी भी दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रतिवेदन एवं प्रयोजनार्थ ले–आउट नगर निवेश जशपुर से अनुमोदनार्थ सहित समयावधि में दिनांक 22/01/2026 तक जमा करें, अन्यथा शासनादेशानुसार निराकरण किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2026 को जारी किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व पत्थलगांव जिला जशपुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)
रा0प्र0क्र0/ब–121/2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक लाल बहादुर पिता विजय बहादुर निवासी घासीदास वार्ड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 1945/17 रकबा 0.020 हे0 भूमि को अनावेदक संतोष बहादुर सिंह पिता लालबहादुर सिंह, मंजू सिंह पति संतोष बहादुर सिंह निवासी घासीदास वार्ड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास दान करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 04/02/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा–आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय–सीमा के बाद प्राप्त दावा–आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 19/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर सरगुजा

बाबा श्याम के भव्य संकीर्तन महोत्सव में उमड़ा श्याम प्रेमियों का सैलाब

बाबा श्याम की भक्ति में सराबोर रहा शहर, रंगमंच प्रांगण में हुआ आयोजन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। श्री श्याम सेवा समिति के द्वारा बाबा श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन गत दिवस रंगमंच मैदान में भव्य स्वरूप में किया गया। जिसमें श्याम रस की अलख जगाने के लिए श्याम जगत के भजन प्रवाहकों को आमंत्रित किया गया था।

मुख्य आयोजन में श्री श्याम गुणगान शीतला पाण्डेय दिल्ली, पूजा नथानी कलकत्ता तथा अनमोल-शुभम कलकत्ता की जोड़ी विशेष रूप से बाबा श्याम की अलख जगाई और सारी रात श्याम भक्तों को श्याम भक्ति में सराबोर किया। श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव के द्वितीय संस्करण में रंगमंच मैदान में नगर पालिका के टेनसाईल डोम के नीचे विशेष रूप से बाबा का खजाना के रूप में एक ड्रा का भी आयोजन किया गया।इसके साथ ही बाबा का अलौकिक पुष्प श्रृंगार नैनाभिराम था, इत्र वर्षा व श्याम रसोई के साथ बाबा के महोत्सव को लेकर वातावरण धार्मिक हो गया था। आयोजन को लेकर पूरा नगर बाबा श्याम की भक्ति से सराबोर रहा। उल्लेखनीय है कि उक्त श्याम महोत्सव का श्याम प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार रहता है और आयोजन समिति के उजार्वान भक्तों के द्वारा भी बाबा के संकीर्तन महोत्सव को भव्य स्वरूप प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा के दरबार को विशेष रूप से फूलों से सजाने के लिए कलकत्ता के दरबार सेवक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

वहीं श्याम संकीर्तन में पप्पू महाराज के पावन सानिध्य में राहुल अग्रवाल शीश सेवा की उपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण हुआ। जिसमें ख्याति प्राप्त भजन गायकों के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। आयोजन को सफल बनाने में सुनील अग्रवाल, पप्पल अग्रवाल, प्रवेश गोयल, दिनेश अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, अमित रोहिल्ला, पवन अग्रवाल, रोहित गर्ग, रूपेश मित्तल, रवि अग्रवाल, राकेश बंसल, प्रियांशु जैन, सचिन अग्रवाल, रवि पाण्डेय, विक्की कुमार, दीपक गोयल, राहुल पाण्डेय, सुमित रोहिल्ला, प्रियांश मित्तल, सचिन अग्रवाल, अंश मित्तल, आशीष, यश अग्रवाल, प्रणव अग्रवाल सहित श्री श्याम सेवा समिति के सदस्य व आयोजन से जुड़े श्याम प्रेमी श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव को पूर्ण करने में सक्रिय रहे।

रामकुमार व रामप्रसाद को मिली कार

समिति के द्वारा बाबा के खजाने के रूप में लक्की ड्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार डिजायर कार राजापुर निवासी रामकुमार प्रजापति तथा द्वितीय मारूती कार रामप्रसाद पतरापाली को मिला। इसके अलावा हंस हलदार दिल्ली को मोटरसाईकिल, राहुल गुप्ता व सुरेश साहू सूरजपुर को स्कूटी, अनन्या जैन रायपुर, पंकज किराना भैयाथान, विक्की झा सूरजपुर, खाटू श्याम जी पसान, विवेक कुमार गढ़वा व मनीष साहू अम्बिकापुर को मोटरसाइकिल के साथ इलेक्ट्रानिक स्कूटी का खजाना प्रिती साहू कटनी, नरेश अग्रवाल कांसाबेल, अनुष्का गुप्ता आरागाही, जागिर सिंह चंदरपुर, मोहन साहू व परिधि गुप्ता दवना को मिला। वहीं 100 सांत्वना पुरस्कार प्रेस का वितरण किया गया।

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरुद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम में 125 दिन रोजगार, सात दिन में होगा भुगतान

मंत्री ने कहा-ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा अधिनियम

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मजदूरी भुगतान सात दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। उक्त बातें मंत्री राजेश अग्रवाल ने बुधवार को संकल्प भवन, भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही।

उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मनरेगा में पहले फर्जी मस्टर रोल, मशीनों के उपयोग और धांधली की शिकायतें मिलती थीं, जिन्हें यह नया अधिनियम स्वतः समाप्त कर देगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी, इसी भावना के अनुरूप घर-घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गईं। विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का और अधिक प्रभावी रूप होने के साथ कई मायनों में इससे बेहतर है। इस अधिनियम के माध्यम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार एवं सतत आय के नए अवसर सृजित होंगे और प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी इससे बल मिलेगा। अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष एवं कोरिया जिला प्रभारी ललन प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, महामंत्री द्वय विनोद हर्ष एवं अरुणा सिंह, जिला संवाद प्रमुख रुपेश दुबे के अलावा विकसित भारत जी-राम-जी अभियान के जिला संयोजक अनिल अग्रवाल, सतीश जायसवाल, हरि गुप्ता, कामेश्वर राजवाड़े, मयंक जायसवाल, जतिन परमार, रामप्रवेश पांडेय उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम-सिसोदिया

भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। यह कानून गांवों को केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और स्थायी विकास की दिशा देगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा से जुड़े।

फसल बुवाई-कटाई के समय रोके जाएंगे काम

मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जाएंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों और कृषि गतिविधियां प्रभावित न हों। इससे ग्रामीणों का पलायन रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी। अधिनियम अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन। जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने तथा सिंचाई संरचनाओं के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे।

कांग्रेस का 50 वोट कटवाने और स्वयं का 50 वोट समायोजित करने दल विशेष ने दिया है निर्देश

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने एसआईआर को लेकर आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनिरिक्षण को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में पांचवी समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एसआईआर को लेकर नियुक्त प्रभारियों के साथ ही कांग्रेस के सभी सांगठनिक ब्लॉक अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्ष मौजूद थे।

बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक दल विशेष के द्वारा हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को सभी बूथ पर कांग्रेस के 50 वोट कटवाने के साथ ही अपने 50 अतिरिक्त वोट समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। संभवतः इस कार्य में लगे अधिकारियों को भी इस बाबत् अनौपचारिक निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसके प्रति सतर्कता बरतनी है। उन्होंने बूथलेबल एजेंट को यह सलाह जारी किया है कि वे अपने बूथों पर बीएलओ से तालमेल कर दैनिक आधार पर आने वाली ऐसी सूची का अवलोकन कर इस कवायद पर नजर रखें एवं ऐसी अनियमितताओं से जिला संगठन को तत्काल अवगत कराएं ताकि इसके विरुद्ध त्वरित कारवाई की जा सके। उन्होंने जिला संगठन के साथ ही ब्लॉक कार्यकारणी और मंडल कार्यकारणी के सभी सदस्यों को तत्काल उनके बूथ पर बीएलए के साथ नियुक्त कर कार्य सम्हालने का निर्देश भी दिया है। साथ ही उन्होंने पूरे जिले में नवगठित 94 बूथ पर तत्काल बीएलए नियुक्त करने का निर्देश दिया है। मसौदा सूची में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम विलोपित होने पर भी उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्रों के वितरण के समय प्रशासन के द्वारा जारी आंकड़ों में 99 प्रतिशत गणना प्रपत्रों को वितरित बताया गया था, लेकिन मसौदा सूची जारी होने पर बड़ी संख्या में अनुपस्थित और अनमैप्ड कैटेगरी में मतदाताओं का नाम विलोपित किया गया जो इस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा कर रहा है।

बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व केबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि दावा आपत्ति के अंतिम 15 दिन के दौर में कांग्रेस के सभी बीएलए के साथ ही संबंधित बूथ के कार्यकर्ता आम मतदाता के हित में सजग और सतर्कता के साथ कार्य करें। बैठक के संयोजन दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को अगामी 2 दिनों के अंदर बूथ स्तर पर कार्यकारणी सदस्यों की नियुक्ति करके उनकी सूची भेजने का निर्देश दिया। बैठक को अंबिकापुर विधानसभा प्रभारी अजय अग्रवाल, लुंड्रा विधानसभा प्रभारी सोमेश्वर सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, जेपी श्रीवास्तव, विक्रमादित्य सिंहदेव, राजीव सिंह, हेमंत सिन्हा, विनय शर्मा, राजनाथ सिंह, बलराम यादव, मो. इस्लाम सहित अन्य उपस्थित थे।

दोपहिया से अनियंत्रित होकर नहर में गिरे युवक की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। स्कूटी से अनियंत्रित होकर नहर में गिरे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम भालुकछार का कपिलेश कुमार सिंह पिता तिलेश्वर सिंह 37 वर्ष, 6 जनवरी को शाम करीब 6 बजे स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 15 सीएम 2437 में घूमने के लिए निकला था। शाम करीब 7.30 बजे गांव के दिनेश यादव ने मोबाइल फोन से सूचना दिया कि उनका लड़का घुनघुट्टा बांध के पास नहर में गिर गया है। इसकी सूचना मिलने पर कपिलेश मौके पर पहुंचे तो उनके लड़के को पानी के अंदर से निकालकर मेड़ पर रखे थे। युवक का शरीर गर्म था, लेकिन सांस नहीं चल रहा था। इसकी सूचना मिलने पर डॉयल 112 वाहन के साथ टीम मौके पर पहुंची और युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के आपातकालीन चिकित्सा परिसर में लेकर स्वजन पहुंचे, यहां रात 9.20 बजे जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

पुण्यतिथि पर भाजपा के आधार स्तंभ स्व. लरंग साय के योगदान को किया स्मरण

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। भाजपा सरगुजा के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद एवं पार्टी के आधार स्तंभ स्व. लरंग साय की पुण्यतिथि पर जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में भाजपा सरगुजा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने लरंग साय चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर स्व. लरंग साय के योगदान और जीवनी को स्मरण करते हुए जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि लरंग साय केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि सरगुजा की आदिवासी चेतना और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नींव के मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने सादगी, संघर्ष और सेवा को अपना जीवन मंत्र बनाकर राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया। उनका जीवन आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने बताया कि लरंग साय शुरू में शिक्षक थे, बाद में भारतीय जन संघ, जो बाद में भाजपा का हिस्सा बनी से जुड़ गए। उन्होंने जन संघ के टिकट पर 1967 में पहली बार सामरी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक पद संभाला। वे 1967 से 1977 में सामरी विधानसभा से विधायक, 1980 से 1985 तक पुनः सामरी विधायक, 1977 में पहली बार सांसद का चुनाव जन लोक दल के रूप में जीते। 1989 से 1991 तक भाजपा से सांसद, 1998-1999 में पुनः भाजपा से सांसद तथा केंद्रीय श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री 14 अगस्त 1977 से 28 जुलाई 1979 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरामजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में रहे। सिसोदिया ने कहा लरंग साय को सरगुजा और आस-पास के आदिवासी इलाकों में जनप्रिय नेता और आदिवासी सहित सभी वर्ग हितैषी के रूप में जाना जाता था। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, जिसमें उन्हें प्रेरणास्रोत बताया गया है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा और जन संघ के प्रारंभिक वर्षों में संगठन की मजबूती में उनका बड़ा योगदान रहा। संसद में वे बेबाक और स्पष्टवादी वक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। सरगुजा क्षेत्र के विकास और आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। इस अवसर पर महापौर मंजूषा भगत, ललन प्रताप सिंह, विनोद हर्ष, हरमिंदर सिंह टिन्नी, विकास पांडेय, निलेश सिंह, मनीष सिंह, ममता तिवारी, कमलेश तिवारी, निशांत सिंह सोलू, विकास वर्मा, संजीव वर्मा, रोचक गुप्ता, अनिल तिवारी, श्वेता गुप्ता, किरण सिंह, किरण साहू, शैलू सिंह, शिवमंगल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

धर्म, संस्कृति को बचाकर रखने के लिए माता राजमोहिनी के मार्ग पर चलें-कौशल्या साय

पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुई मुख्यमंत्री की पत्नी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम गोविंदपुर में पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी की 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर सांसद सरगुजा चिंतामणि महाराज, विधायक प्रतापपुर शकुंतला पोर्ते, जनजाति गौरव समाज प्रदेश महामंत्री राम लखन सिंह पैकरा विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में माता राजमोहिनी द्वारा स्थापित 24 आश्रमों के प्रमुख अनुयायी एवं भक्तों की उपस्थिति रही।

मुख्य अतिथि कौशल्या देवी साय ने माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि माता राजमोहिनी देवी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए जनजाति रीति-रिवाज, परंपरा, धर्म व संस्कृति को बचाए रखने और सामाजिक बुराईयों को लेकर माताजी ने जो आंदोलन शुरू किया उसे पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने सभी समाज से मिलकर हिंदू समाज को मजबूत और संगठित करने को आह्वान किया और कहा कि विदेशी धर्म संस्कृति से बचना अत्यंत आवश्यक है, लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, उससे पूरे समाज को सावधान रहना है। उन्होंने कहा अभाव में, गरीबी में, अकाल के समय माताजी ने पूरे समाज में समरसता का संदेश दिया। आज सरकार और समाज आपके साथ है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वयं का और माताजी का उदाहरण देते हुए उन्होंने पुरुषों से भी घर की महिला, बहनों को सामाजिक काम के लिए घर से बाहर जाने छूट देने की अपील की। सांसद सरगुजा चिंतामणि महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि गांव-गांव तक पदयात्रा करके पुरुषों, युवाओं तथा महिलाओं की अलग-अलग टीम को जनजाति समाज किसी विदेशी षड्यंत्र या बाहरी व्यक्ति के लालच में आकर धर्म परिवर्तन न करें, इस पर नजर रखना होगा। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि समाज को बचाने के लिए लोग आगे आएं। क्षेत्रीय विधायक शकुंतला पोर्ते ने कहा कि माता राजमोहिनी देवी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भक्तों को सभी समाज के लोगों को साथ जोड़कर संगठन की ताकत को बढ़ाने के लिए समय-समय पर इस तरह का आयोजन सभी आश्रमों में करते रहना चाहिए। आश्रम के अध्यक्ष अमित सिंह मरावी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय का माताजी के तपस्या स्थल पर पूरे भक्तों के बीच सुदूर वनांचल क्षेत्र में पहली बार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आगमन हुआ, जिससे भक्त हर्षित हैं। माताजी की 32वीं पुण्य तिथि के अवसर पर उनके अधूरे कार्य को पूरा करने में अनुयायी भक्तों को बल मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन जनजाति गौरव समाज के प्रदेश महामंत्री राम लखन सिंह पैकरा ने किया। आश्रम की संरक्षिका माता राम बाई ने पूरे समय कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए कौशल्या देवी साय का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जनजाति गौरव समाज के संभागीय अध्यक्ष परमेश्वर सिंह मरकाम, जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह, अमित सिंह मरावी, हंसराज सिंह मरकाम, दिनेश सिंह, रघुवीर भगत, शशिकला भगत, मनीषा पैकरा, बुधना राम, मुकेश अग्रवाल, जय सिंह मरकाम, दशरथ राम मरकाम, सहित हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे।

बच्चों के लिए हमारा दृष्टिकोण उन्हें परिपूर्ण जीवन प्रदान करना है-शिल्पा पांड

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। विजन समाज सेवी संस्था द्वारा लगातार शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, प्रशिक्षण केंद्रों, एवं छात्रावासों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन एवं विधिक अधिकारों की जागृति हेतु जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विगत दो महीनों में संस्था द्वारा दर्जन भर कार्यक्रम बच्चों को मानसिक अवसाद से बचाने एवं जीवन अनमोल है थीम पर बच्चों को मन से मजबूत बनाने के लिए चलाया है, ताकि बच्चे जीवन की हर परिस्थिति का सामना मजबूती से कर सकें। इसी तारतम्य में विगत दिनों रजपुरी बालिका कस्तूरबा आवासीय विद्यालय वं दशमेश पब्लिक स्कूल में 'जीवन अनमोल है' थीम पर 'मन मजबूत तो जीवन मजबूत' जयघोष के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी संतोष दास ने कहा कि युवाओं ओर बच्चों की लगातार हो रही आत्महत्याओं की अनदेखी ने पूरे अभिभावकों को एक अंधे डर और चिंता में धकेल दिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े और बच्चों की बढ़ती आत्महत्या हमें खुद आगे आकर समाज तथा बच्चों के लिए संवेदनशील एवं सकारात्मक कदम उठाने की ओर संकेत कर रहे हैं। कार्यक्रम की सूत्रधार समाजसेविका एवं अधिवक्ता शिल्पा पाण्डेय सृष्टि ने बताया कि दो महीनों में सरगुजा में पंद्रह से अधिक कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें लगभग बीस हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। संस्था विभाग व संस्थान के बीच की कड़ी का काम करती है। बच्चों की ऐसी दिक्कतें जिसे वे किसी से शेयर नहीं कर सकते उन्हें लिखित रूप से इस शर्त पर हम लेते हैं कि बिना नाम उजागर किए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ऐसे में बच्चियां बहुत आगे आकर छोटे-छोटे पन्नों में अपनी समस्या बता रही हैं। कार्यक्रम में महिला थाना प्रभारी सुनीता भारद्वाज का भी विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। सरगुजा जिले के पुलिस विभाग द्वारा नशा मुक्ति, मोबाइल के दुरुपयोग एवं साइबर अपराध के संबंध में भी कार्यशाला में उपस्थित होकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2023-24 में ही बच्चों को मानसिक अवसाद से निकलने के लिए शिक्षा विभाग एवं सामाजिक संस्थाओं से आह्वान किया था। रजपुरी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्रावास अधीक्षक अनुराधा सिंह ने अपने वक्तव्य में छात्रावास में होने वाले मानसिक संवर्धन की गतिविधियों से सभी को अवगत कराया। विजन समाजसेवी संस्था के मीडिया प्रभारी राजू यादव ने भी अपने विचार रखे और बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रहने के गुर सिखाए। शिल्पा पांडे ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से अपील की, कि वे नियमित रूप से माता-पिता और अभिभावकों के साथ बैठक करें, जितनी जरूरी पढ़ाई की गतिविधियां हैं उतनी ही जरूरी बच्चों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी है।

जनभावना का सम्मान करते हुए हर वार्ड तक पहुंचेगा विकास-सिसोदिया

पीछे रह गए वार्डों में सघन जनसंपर्क और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए पालक पार्षदों की नियुक्ति

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। संकल्प भवन स्थित जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता एवं महापौर मंजूषा भगत की उपस्थिति में नगर निगम के पार्षदों, एमआईसी सदस्यों , पालक पार्षदों एवं छाया पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि निगम चुनाव में जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है और बहुमत के साथ हमने निगम में सरकार बनाया है, हमें जनभावना का सम्मान करते हुए उन सभी वार्डों में कार्य करना है जहां हम पीछे रह गए हैं। उन्होंने हारे हुए वार्डों पर बल देते हुए कहा कि हमें मिल कर ऐसे वार्डों में जन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना है। वार्डों में सघन जनसंपर्क करके भाजपा के रीति-नीति से प्रभावित लोगों को संगठन से जोड़ने का काम करना है। चिन्हांकित वार्डों में इस काम के लिए संगठन ने पालक पार्षद नियुक्त किए गए हैं जो जनभावना के अनुरूप कार्य करेंगे। महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि नगर निगम की प्राथमिकता शहर के हर वार्ड में समान रूप से विकास पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम चाहे जैसे भी रहे हों, नगर निगम की जिम्मेदारी सभी नागरिकों के प्रति समान है। पालक पार्षद, पार्षद और छाया पार्षद मिलकर जमीनी स्तर पर समस्याओं की पहचान करेंगे और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जनसुविधा, स्वच्छता, मूलभूत ढांचे और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में कोई भी वार्ड उपेक्षित नहीं रहेगा। बैठक का संचालन जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने किया, सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने आभार जताया। बैठक में मुख्यरूप से पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, अम्बिकेश केसरी, निलेश सिंह, कमलेश तिवारी, एमआईसी मेम्बर, पार्षदगण एवं शत-प्रतिशत छाया पार्षदों की उपस्थित रही।

इन्हें बनाया गया छाया और पालक पार्षद

पीछे रह गए वार्ड फुंदुर डिहारी संेंट्रल वार्ड में छाया पार्षद परमेश सिंह नेताम और पालक पार्षद के रूप में डॉ. शिवमंगल सिंह को नियुक्त किया गया है, इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक वार्ड में संजीता खलखो और रविकांत उरांव, पटपरिया वार्ड में आशा कुजूर और अनीता रवीन्द्र भारती, शहीद चन्द्रशेखर वार्ड में लवली ताम्रकार और मनोज गुप्ता, रैदास वार्ड में चंद्रमती कुशवाहा और शशिकांत जायसवाल, गुरु घासी दास वार्ड में विनोद वर्मा और सुषमा गुप्ता, गुरुनानक वार्ड में टिन्नी बावरा और विजय सोनी, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में विकास वर्मा और श्वेता गुप्ता, रामानुज वार्ड में संगीता सोनकर और प्रियंका गुप्ता, गुरुघासी वार्ड में अमरजीत सिंह छाबड़ा और विपिन पाण्डेय, अग्रसेन वार्ड में शुभम अग्रवाल और मनीष सिंह, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड में विशेष केशरवानी और विशाल गोस्वामी, रफी अहमद किदवई वार्ड में नितिन गुप्ता और हरमिंदर सिंह टिन्नी, नवागढ़ वार्ड में अजय सारथी और जितेन्द्र सोनी, शहीद अब्दुल हमीद वार्ड में वसीम अंसारी और विकास पाण्डेय, गंगापुर वार्ड में संतोला सिंह और किरण सिंह तोमर तथा विशुनपुर वार्ड के लिए पवन हिमांशु भगत के साथ पालक पार्षद ममता तिवारी को नियुक्त किया गया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर